SHIVALIK

Shivalik Small Finance Bank

(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

संपत्ति पर ऋण | आवास ऋण

ऋण/ओवरड्राफ्ट समझौता

ग्राहक का नाम : _____

खाता संख्या। : _____

ऋण/ओवरड्राफ्ट समझौता

यह ऋण/सीमा समझौता _____ पर, _____ के इस _____ दिन, 20_____ द्वारा और बीच में किया गया ("**समझौता**"):

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक बैंकिंग कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 501, सैल्कॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, जसोला विहार, दिल्ली -110025 में है और अनुसूची। में वर्णित स्थान पर अपनी शाखा के माध्यम से कार्य कर रहा है (इसके बाद "**ऋणदाता**" के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और असाइन शामिल होंगे) पहले भाग का;

और

उधारकर्ता जिसका नाम, पता और विवरण अनुसूची। में कहा गया है **(इसके बाद** "उधारकर्ता" **के रूप में संदर्भित**, जिसकी अभिव्यक्ति में जब तक कि संदर्भ की आवश्यकता न हो, दूसरे भाग के उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक, उत्तराधिकारी और अनुमत असाइन शामिल होंगे।

(ऋणदाता और उधारकर्ता को इसके बाद सामूहिक रूप से "**पार्टियों**" के रूप में और व्यक्तिगत रूप से "**पार्टी**" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

जबकि:

A. उधारकर्ता ने ऋणदाता से ऋण/सीमा (इसके बाद परिभाषित) के अनुसार आवेदन पत्र (इसके बाद परिभाषित) के अनुसार (इसके बाद परिभाषित) का लाभ उठाने के लिए ऋणदाता से संपर्क किया है।

B. उधारकर्ता ने ऋण/सीमा का लाभ उठाने के लिए मूल और प्राथमिक साधन के रूप में मॉर्गेज दस्तावेज (इसके बाद परिभाषित) को निष्पादित करके संपत्ति पर सुरक्षा बनाने का प्रस्ताव दिया है।

C. उधारकर्ता द्वारा मॉर्गेज दस्तावेज को मूलधन और प्राथमिक साधन के रूप में निष्पादित करने के लिए सहमत होने पर, ऋणदाता अनुदान देने के लिए सहमत हो गया है, और उधारकर्ता नीचे दिए गए नियमों और शर्तों पर ऋण/सीमा का लाभ उठाने के लिए सहमत हो गया है।

D. उधारकर्ता स्वीकार करता है कि संपत्ति के संबंध में शीर्षक विलेख जमा करना और घोषणा सह पुष्टिकरण विलेख इस समझौते का एक अभिन्न अंग है।

E. (अ) ऋणदाता और उधारकर्ता(ओं) के रूप में बैंक तथा उधारकर्ता(ओं) के बीच संबंध इस समझौते की तिथि से प्रारंभ होगा और तब तक प्रभावी एवं विद्यमान रहेगा, जब तक कि इस समझौते तथा इससे संबंधित अन्य दस्तावेजों के अंतर्गत बैंक को देय समस्त राशि एवं अन्य देयताओं का उधारकर्ता(ओं) द्वारा पूर्ण भुगतान और निर्वहन नहीं कर दिया जाता।

1. परिभाषाएँ और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा की आवश्यकता न हो, निम्नलिखित शर्तों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

I. "**समझौते**" **का** अर्थ है यह ऋण/सीमा समझौता, ऋण/सीमा विवरण सारांश, इस समझौते के हिस्से के रूप में अभी या इसके बाद संलग्न अनुलग्नक और समय-समय पर इस समझौते से अभी या इसके बाद संलग्न कोई अनुलग्नक, प्रदर्शन या अन्य परिशिष्ट।

II. "**आवेदन पत्र**" **का अर्थ** होगा जैसा कि संदर्भ अनुमति दे सकता है या आवश्यकता हो सकती है, ऋण/सीमा के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने के लिए ऋणदाता को ऋणदाता को प्रस्तुत ऋण सुविधा आवेदन पत्र, प्रारंभिक ऋण सुविधा आवेदन पत्र और अन्य सभी जानकारी, विवरण, स्पष्टीकरण और घोषणाएं, यदि कोई हो, ऋण/सीमा के संबंध में समय-समय पर उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई हैं।

III. "**उधारकर्ता**" का अर्थ उस व्यक्ति/संस्था से होगा जिसका नाम इसके साथ संलग्न अनुसूची। में दिया गया है।

IV. "**क्रॉस डिफ़ॉल्ट**" का अर्थ इस समझौते के खंड 13.1 (एफ) के तहत शब्द के लिए निर्धारित किया जाएगा।

V. "**प्रभावी तिथि**" का अर्थ होगा इस समझौते के निष्पादन की तारीख।

VI. "**नियत तारीख**" का अर्थ उस तारीख (ओं) से होगा जिस पर बकाया दायित्वों के संबंध में कोई भी राशि गिरती है।

VII. "**समान मासिक किस्त**" या "ईएमआई" का अर्थ अनुसूची। में निर्दिष्ट प्रत्येक मासिक भुगतान की राशि होगी, जिसे ऋण/सीमा की अवधि पर ब्याज के साथ ऋण/सीमा का पुनर्भुगतान करने के लिए ऋणदाता को भुगतान किया जाना आवश्यक है।

VIII. "**डिफ़ॉल्ट की घटना**" इस समझौते के खंड 13 के तहत वर्णित घटनाओं का उल्लेख करेगा।

IX. "**ब्याज**" का अर्थ खंड 3.1 में दिए गए शब्द के लिए निर्धारित होगा।

X. "**मुख्य तथ्य कथन** या **केएफएस**" जैसा कि अनुबंध की अनुसूची। में चिपकाया गया है

XI. "**ऋण/सीमा**" का अर्थ अनुसूची। में निर्दिष्ट राशि तक की ऋण सुविधा होगी, जिसे ऋणदाता द्वारा इस समझौते की शर्तों के तहत उधारकर्ता को प्रदान किया जाएगा। स्वीकृत ऋण सुविधा सावधि ऋण/सीमा, या ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में हो सकती है, जैसा कि स्वीकृति पत्र और अनुसूची-। में बताया गया है। ओवरड्राफ्ट सुविधा के मामले में, सुविधा एक परिक्रामी प्रकृति की होगी, जिसके तहत उधारकर्ता समय-समय पर स्वीकृत सीमा तक, ड्राइंग पावर की उपलब्धता और इस समझौते के अनुपालन के अधीन आहरण कर सकता है, चुका सकता है और फिर से ड्रा कर सकता है।

XII. "**सामग्री प्रतिकूल प्रभाव**" का अर्थ है किसी भी घटना या परिस्थिति का प्रभाव या परिणाम जो है या होने की संभावना है: (ए) उधारकर्ता या किसी भी व्यक्ति की अपनी संबंधित शर्तों के अनुसार लेनदेन दस्तावेजों के तहत अपने किसी भी संबंधित दायित्व को पूरा करने या उसका अनुपालन करने की क्षमता के विपरीत; या (बी) उधारकर्ता के किसी भी व्यवसाय, संचालन या वित्तीय स्थिति के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण।

XIII. "**मॉर्गेज दस्तावेज**" का अर्थ होगा संपत्ति के संबंध में शीर्षक विलेखों की जमा राशि और घोषणा सह पुष्टिकरण विलेख को दर्ज करने वाला प्रविष्टि ज्ञापन।

XIV. "**बकाया दायित्वों**" का अर्थ होगा और इसमें ऋण की बकाया मूल राशि शामिल होगी, या ओवरड्राफ्ट के मामले में अधिकतम ओवरड्राफ्ट सीमा, ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अन्य सभी ब्याज, सभी शुल्क, लागत, प्रतिबद्धताएं, शुल्क, व्यय, स्टांप शुल्क और अन्य सभी राशियां जो भी उधारकर्ता द्वारा समझौते और लेनदेन दस्तावेजों के अनुसार ऋणदाता को देय हैं, साथ ही अन्य सभी धनराशियां जो भी समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा निर्धारित या देय हैं।

XV. "**सीमा/अधिकतम ओवरड्राफ्ट सीमा**" का अर्थ है इस समझौते के संदर्भ में बैंक द्वारा दी गई ओवरड्राफ्ट सीमा जिसे बैंक उधारकर्ता को आवंटित कर सकता है और समय-समय पर निर्धारित कर सकता है।

XVI. "**ओवरड्राफ्ट सुविधा**" का अर्थ है एक निश्चित सीमा तक स्वीकृत एक परिक्रामी ऋण सुविधा

XVII. "**आहरण शक्ति**" का अर्थ है उधारकर्ता (ओं) के पास निकासी के लिए उपलब्ध सीमा

XVIII. "**व्यक्ति**" में व्यक्तिगत, साझेदारी फर्म, कंपनी, व्यक्तियों का संघ, मालिकाना चिंता, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और सहकारी समिति शामिल होगी, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार उल्लिखित और निर्धारित किया गया है।

XIX. "**संपत्ति**" **का** अर्थ है आवासीय/वाणिज्यिक अचल संपत्ति, या जैसा कि आवेदन पत्र में वर्णित है, जो उधारकर्ता के स्वामित्व/संयुक्त स्वामित्व में है और इसे किसी भी अचल संपत्ति को शामिल करने के लिए माना जाएगा जिसकी सुरक्षा पर ऋणदाता ऋण/सीमा को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हो गया है।

उपरोक्त की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

"संपत्ति" में यह भी शामिल होगा:

A. किसी भवन के भाग के मामले में, संपूर्ण निर्मित क्षेत्र (और उसमें कोई भी परिवर्धन), भवन के सामान्य क्षेत्रों में आनुपातिक हिस्सा और उस भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्सा जिस पर उक्त भवन स्थित है या बनाया जा रहा है/बनाया जाएगा; या

B. एक फ्लैट के मामले में, पूरे निर्मित क्षेत्र (और उसमें कोई भी परिवर्धन), भवन के सामान्य क्षेत्रों में आनुपातिक हिस्सा जिसमें ऐसा फ्लैट स्थित है/होगा और उस भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्सा जिस पर उक्त भवन स्थित है या बनाया जा रहा है/बनाया जाएगा; या

C. एक स्वतंत्र संरचना के मामले में, संरचना और भूमि का पूरा भूखंड जिस पर संरचना स्थित है या बनाई जा रही है/बनाया जाएगा; या

D. एक व्यक्तिगत घर के मामले में, घर और जमीन का पूरा भूखंड जिस पर घर बनाया जाएगा।

उधारकर्ता हस्ताक्षर _____ सह-उधारकर्ता हस्ताक्षर _____

XX. **"उद्देश्य"** का अर्थ इस समझौते के खंड 2.2 में दिए गए शब्द को सौंपा गया होगा।

XXI. **"आरबीआई"** का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक।

XXII. **"प्रतिभूतियों"** का अर्थ लेन-देन दस्तावेजों की शर्तों के तहत बनाई गई प्रतिभूति/प्रभार से होगा।

XXIII. **"लेन-देन दस्तावेज"** में ऋण/सीमा के संबंध में या उससे संबंधित उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निष्पादित या दर्ज किए गए सभी लेखन और अन्य दस्तावेज शामिल होंगे और समय-समय पर संशोधित ऐसे प्रत्येक लेनदेन दस्तावेज शामिल होंगे।

1.2 व्याख्या

i. शीर्षक केवल सुविधा के लिए हैं और इस समझौते के अर्थ या व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे।

ii. जब भी इस अनुबंध में "शामिल" या "सहित" शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो उन्हें "बिना किसी सीमा के" शब्दों के बाद माना जाएगा। खंड संख्या के प्रत्येक संदर्भ में उसके सभी उप-अनुच्छेद और उपखंड शामिल होंगे।

iii. इस समझौते के सभी नियमों और शर्तों को लिखित शर्तों के अनुसार समझा जाएगा; और यदि नियम या शर्त अस्पष्ट है, तो पार्टियों के इरादे के अनुसार।

iv. इस समझौते या किसी अन्य उपकरण के संदर्भ में उनमें से किसी एक की कोई भिन्नता, नवीनता या प्रतिस्थापन शामिल है।

v. खंडों, अनुसूचियों और अनुलग्नकों के संदर्भ इस समझौते के खंडों, अनुसूचियों और अनुलग्नकों के संदर्भ हैं।

vi. एक क़ानून के संदर्भों में विनियमों, नियमों, आदेशों, नोटिस, या इस तरह के क़ानून के तहत या उसके अनुसार किए गए अभ्यास के कोड के संदर्भ शामिल हैं, और एक क़ानून या विनियमन के संदर्भों में उस क़ानून या विनियमन के सभी संशोधनों के संदर्भ शामिल हैं (चाहे बाद के क़ानून द्वारा या अन्यथा) और उस क़ानून या विनियमन के प्रतिस्थापन में पारित क़ानून या विनियमन के संदर्भ शामिल हैं।

vii. किसी भी घटना, घटना, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्य, जानकारी, दस्तावेज़, प्राधिकरण, कार्यवाही, कार्य, चूक, दावे, उल्लंघन, डिफ़ॉल्ट या अन्यथा सहित किसी भी मामले की भौतिकता, तर्कसंगतता या घटना के संबंध में ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच किसी भी असहमति या विवाद की स्थिति में, भौतिकता के रूप में ऋण/सीमा के संबंध में ऋणदाता की राय, पूर्वगामी में से किसी की तर्कसंगतता या घटना उधारकर्ता पर अंतिम और बाध्यकारी होगी।

2. एक ऋण/सीमा

2.1 आवेदन पत्र में उधारकर्ता द्वारा दिए गए बयानों और अभ्यावेदनों पर भरोसा करते हुए, ऋणदाता एतद्द्वारा उधारकर्ता को उपलब्ध कराने के लिए सहमत होता है और उधारकर्ता एतद्द्वारा ऋणदाता से लाभ उठाने के लिए सहमत होता है, क्रमशः अनुसूची । में उल्लिखित ऋण/सीमा, इस समझौते में उल्लिखित तरीके से और शर्तों पर संलग्न है।

2.2 ऋण/सीमा अनुसूची-। में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए प्रदान की जाती है यहां ("उद्देश्य"।

2.3 बैंक सहमत है, उधारकर्ता (ओं) के अनुरोध, अभ्यावेदन, वारंटी, अनुबंध और उपक्रमों के आधार पर और सीमा के संबंध में उधारकर्ता (ओं) द्वारा निष्पादित या निविदा किए गए अन्य दस्तावेजों के आवेदन के आधार पर, उधारकर्ता (ओं) को उधार देने के लिए और उधारकर्ता बैंक से उधार लेने के लिए सहमत होता है, इस समझौते और अनुसूची । में पूरी तरह से निहित नियमों और शर्तों की सीमा।

2.4 बैंक, उधारकर्ता के अनुरोध पर, अपने पूर्ण विवेक से, ओवरड्राफ्ट सीमा और/या, जैसा भी मामला हो, परिचालन सीमा को ऐसे अतिरिक्त नियमों और शर्तों के अधीन बढ़ा सकता है, जो बैंक उचित समझे, जिसमें बिना किसी सीमा के, उधारकर्ता के क्रेडिट का पुनर्मूल्यांकन शामिल है।

2.5 उधारकर्ता इसके द्वारा केवल अनुसूची । **में उल्लिखित उद्देश्य के लिए ऋण/सीमा का उपयोग करने के लिए सहमत होता है**

2.6 बैंक, उधारकर्ता के अनुरोध पर, अपने पूर्ण विवेक से, ओवरड्राफ्ट सीमा और/या, जैसा भी मामला हो, परिचालन सीमा को ऐसे अतिरिक्त नियमों और शर्तों के अधीन बढ़ा सकता है, जो बैंक उचित समझे, जिसमें बिना किसी सीमा के, उधारकर्ता के क्रेडिट का पुनर्मूल्यांकन शामिल है।

2.B ओवरड्राफ्ट खाते के संचालन का तरीका

2.7 बैंक, जब तक कि उधारकर्ता और बैंक के बीच अन्यथा सहमति न हो, उधारकर्ता के ओवरड्राफ्ट खाते में एकमुश्त सीमा जमा करेगा।

2.8 उधारकर्ता के पास स्वीकृत सीमा तक चेक या निकासी के अन्य तरीकों से सीमा को वापस लेने की सुविधा होगी।

2.9 यह समझा जाता है कि संवितरण के संबंध में शुल्क (इस तरह के भुगतान आदेश या डिमांड ड्राफ्ट पर लाभार्थी द्वारा आय के संग्रह के लिए शुल्क सहित) उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

2.10 बैंक किसी भी समय, सीमा के तहत किसी भी राशि का वितरण नहीं कर सकता है, जब तक कि बैंक के विवेकाधिकार में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है:

2.11 ऋण दस्तावेजों को विधिवत निष्पादित किया जाता है और उधारकर्ता द्वारा बैंक को वितरित किया जाता है;

2.12 उधारकर्ता संपत्ति के लिए अपने स्पष्ट और विपणन योग्य शीर्षक के बैंक को संतुष्ट करता है;

2.13 कोई अन्य दस्तावेज या लेखन जैसा कि बैंक को अपने विवेकाधिकार में आवश्यकता हो सकती है।

2.14 उपयुक्त प्राधिकारियों से सभी आवश्यक अनुमोदन और अनुमति प्रस्तुत करना, जिसमें निगमों से अनुमोदन और प्रमाण पत्र शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

2.15 बैंक, किसी भी राशि का संवितरण करने के बाद, सीमा के तहत किसी भी और राशि का संवितरण नहीं कर सकता है, जब तक कि इस तरह के आगे के संवितरण से पहले बैंक के विवेकाधिकार में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है:

i. डिफ़ॉल्ट की कोई घटना नहीं हुई होगी;

ii) उधारकर्ता ने पूर्व संवितरण के उपयोग के साक्ष्य प्रस्तुत किए होंगे;

iii) उधारकर्ता (ओं) ने बैंक के पक्ष में बीमा पॉलिसी (ओं) को बैंक द्वारा आवश्यक बीमा पॉलिसी सौंपी होगी;

iv) उधारकर्ता ने बैंक द्वारा आवश्यक होने पर अपने आवधिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए होंगे।

v) उधारकर्ता (ओं) ने अपने विवेकाधिकार में बैंक द्वारा अपेक्षित सभी या कोई अन्य दस्तावेज या लेखन प्रस्तुत किया होगा, जो उधारकर्ता (ओं) के लिए बाध्यकारी होगा।

2.16 उधारकर्ता बैंक को मांग पर और अनुसूची । के अनुसार राशि का भुगतान करेगा।

2.17 इस समझौते में कहीं और बताए गए उपरोक्त या इसके विपरीत किसी भी चीज़ के बावजूद, बैंक वार्षिक आधार पर उधारकर्ता को ओवरड्राफ्ट सुविधा के अनुदान की समीक्षा करने का हकदार होगा ("समीक्षा")। बैंक द्वारा उक्त खाते की समीक्षा में बैंक की मार्जिन आवश्यकताओं की समीक्षा शामिल हो सकती है, जिसमें उधारकर्ता द्वारा प्रदान किए गए मार्जिन, बैंक की नीति के अनुसार गणना की गई प्रतिभूति का मूल्य, उधारकर्ता की नवीनतम वित्तीय स्थिति और/या कोई अन्य कारक और/या बैंक द्वारा प्रासंगिक माने जाने वाले दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। इस तरह की समीक्षा को सक्षम करने के लिए, उधारकर्ता बैंक को ऐसे सभी विवरण और विवरण प्रस्तुत करेगा जो ऐसी समीक्षा से कम से कम एक महीने पहले बैंक द्वारा आवश्यक हो सकते हैं। बैंक, इस तरह की समीक्षा के बाद, अपने विवेकाधिकार में, या तो ओवरड्राफ्ट सुविधा को बंद करने और बकाया राशि के तत्काल पुनर्भुगतान की मांग करने या ऐसी शर्तों के अधीन ओवरड्राफ्ट सुविधा को जारी रखने की अनुमति देने का हकदार होगा, जिसमें कार्यकाल और/या पूर्वोक्त परिचालन सीमा में संशोधन शामिल है, जैसा कि बैंक उधारकर्ता को किसी भी सूचना के बिना उचित समझे, और उधारकर्ता हर समय (और विशेष रूप से भुगतान के लिए किसी भी चेक को प्रस्तुत करने से पहले) खुद को परिचालन सीमा और बैंक की मार्जिन आवश्यकताओं के बारे में समय-समय पर अलग-अलग रखने के

उधारकर्ता हस्ताक्षर _____

सह-उधारकर्ता (ओं) हस्ताक्षर _____

लिए सहमत होता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा। यदि उपरोक्त समीक्षा के परिणामस्वरूप परिचालन सीमा में संशोधन होता है या अन्यथा ओवरड्राफ्ट सुविधा की अवधि में संशोधन होता है, तो बैंक उधारकर्ता को ओवरड्राफ्ट सुविधा की संशोधित शर्तों के बारे में सूचित करेगा। उधारकर्ता एतद्द्वारा सहमत होता है और बैंक द्वारा जारी किए गए ऐसे पत्रों/संचार से बाध्य होने का वचन देता है। यदि उधारकर्ता ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाना जारी नहीं रखना चाहता है, तो उधारकर्ता बैंक को कम से कम 30 दिन पहले लिखित सूचना देगा।

3. ब्याज

3.1 उधारकर्ता से ऋण/सीमा के वितरण की तारीख से **अनुसूची-I ("ब्याज") में निर्दिष्ट दर पर ऋण/सीमा पर ब्याज लिया जाएगा।**

3.2 सावधि ऋण के मामले में, ब्याज की गणना बकाया मूलधन पर की जाएगी और मासिक / त्रैमासिक जैसी निर्दिष्ट आवृत्ति पर देय होगी।

3.3 ओवरड्राफ्ट के मामले में, उधारकर्ता उक्त खाते में औसत मासिक बकाया शेष राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा। प्रत्येक महीने के लिए ब्याज को प्रत्येक संबंधित महीने के अंत में उक्त खाते में एकत्रित और डेबिट किया जाएगा और ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत एक और आहरण माना जाएगा और तदनुसार ब्याज के अधीन होगा। पूर्वोक्त के बावजूद, प्रत्येक महीने के अंत में उक्त खाते में इस प्रकार डेबिट की गई ब्याज की राशि का भुगतान उधारकर्ता द्वारा निर्धारित नियत तारीख से पहले उक्त खाते में इस प्रकार डेबिट किए गए ब्याज के बराबर राशि जमा करके किया जाएगा। यदि उधारकर्ता परिचालन सीमा से अधिक धन निकालकर ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग करता है, तो उधारकर्ता इस प्रकार आहरित या परिचालन सीमा से अधिक उपयोग की गई बैंक राशि को तुरंत चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें विफल रहने पर उधारकर्ता, पूर्वोक्त ब्याज के अलावा, अनुसूची I में निर्दिष्ट दर पर बकाया पूरी राशि पर स्थानापन्न ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

3.4 शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड अपने विवेकाधिकार पर बाद की तारीख में मॉर्गेज ऋण के लिए रीसेट आवृत्ति को बदल सकता है।

3.5 फ्लोटिंग ब्याज दर: ऋणदाता अपने विवेकाधिकार पर ऋण/सीमा की अवधि के दौरान किसी भी समय और समय-समय पर अपनी नीति, बाजार की स्थितियों और/या लागू कानूनों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार ब्याज दर को संशोधित करने का हकदार होगा। ऋणदाता उधारकर्ता को नियत समय में ब्याज दर में भिन्नता के बारे में सूचित करेगा।

3.6 ब्याज की निश्चित दर: यदि उधारकर्ता निश्चित ब्याज दर का विकल्प चुनता है, तो इस समझौते के निष्पादन की तारीख के अनुसार ऋण/सीमा पर लागू ब्याज दर केएफएस में निर्दिष्ट अवधि पर निर्धारित रहेगी।

3.7 उधारकर्ता एतद्द्वारा स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि ब्याज के भुगतान के लिए एक उपयुक्त विधि तैयार करने के लिए, बैंक ने एक उचित और उचित आधार अपनाया है और उधारकर्ता इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार ब्याज सहित ओवरड्राफ्ट सुविधा को चुकाने के लिए सहमत है।

3.8 सीमा पर ब्याज बैंक द्वारा सीमा के संवितरण के साथ-साथ ऋण खाते में डेबिट की तारीख से अर्जित होना शुरू हो जाएगा और महीने के अंतिम दिन ऋण खाते में लिया जाएगा।

3.9 सावधि ऋण पर ब्याज की गणना अनुसूची I में उल्लिखित ऋण/सीमा के लिए ब्याज दर के आधार पर की जाएगी और मासिक विश्राम पर गणना की गई अगले रुपये में पूर्णांकित की जाएगी और किसी भी अन्य शुल्क की गणना 365 (तीन सौ पैंसठ) दिनों के वर्ष के आधार पर की जाएगी या लीप वर्ष में 366 दिन (तीन सौ छियासठ दिन) या मानक बैंकिंग पद्धति के अनुसार उस वर्ष में दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर।

3.10 सीमा पर ब्याज की गणना की जाएगी और ऋण खाते में डेबिट किया जाएगा –

I. अनुसूची-I में बताए गए अंतरालों पर
II. वर्ष में 365 या 366 (लीप वर्ष के मामले में) दिनों का आधार लेते हुए
III. ब्याज दर पर विशेष रूप से अनुसूची I में वर्णित है या जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।
IV. दिन के अंत में बकाया वास्तविक राशि पर।
V. ऋण खाते में डेबिट की तारीख से ब्याज हर महीने देय होगा।

3.11 हालांकि, उधारकर्ता द्वारा ऋण/सीमा को फोरक्लोज करने का इरादा रखने की स्थिति में, ब्याज की गणना वास्तविक फौजदारी की तारीख तक की जाएगी।

3.12 उधारकर्ता के अपनी ब्याज दर को संशोधित करने की इच्छा होने की स्थिति में, चाहे उधारकर्ता द्वारा पहले चुने गए किसी विशेष प्रकार के ब्याज से किसी अन्य प्रकार की ब्याज दर में स्थानांतरित होने के परिणामस्वरूप, या अन्यथा, उधारकर्ता ऐसा कर सकता है यदि बैंक द्वारा ऐसे समय में और ऐसे पूरक दस्तावेजों के निष्पादन पर जो बैंक द्वारा आवश्यक हो सकते हैं और आगे रूपांतरण शुल्क के भुगतान पर समय-समय पर लागू होने पर, जिसे बकाया देय राशि के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उधारकर्ता द्वारा एक विशेष प्रकार के ब्याज से दूसरे प्रकार की ब्याज दर में परिवर्तन केवल अगली तिमाही से प्रभावी होगा।

3.13 भुगतान के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से सभी राशियां (यानी बैंक के कारण उधारकर्ता द्वारा भुगतान नहीं की गई हैं) जिसमें लागत, प्रभार और ऋण खाते में डेबिट किए गए व्यय शामिल हैं, इस तरह के संशोधन के लिए कोई कारण निर्दिष्ट करने की आवश्यकता के बिना अतिदेय शुल्क को आकर्षित किया जाएगा और इसके बाद अनुसूची I के अनुसार ऐसी संशोधित दर (दरों) पर ब्याज और अतिदेय प्रभार अर्जित होंगे।

3.14 ओवरड्राफ्ट सुविधा के पुनर्भुगतान से संबंधित प्रावधानों सहित इसमें निहित किसी भी नियम और शर्तों के उधारकर्ता द्वारा किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप उधारकर्ता को अनुसूची I में उल्लिखित दर पर अतिदेय शुल्क लगाया जाएगा, जो इसके तहत पूरे देय (जो देय हैं और भुगतान नहीं किए गए हैं) पर लिखा गया है, जो प्रासंगिक नियत तारीख से लगाया जाता है, जिस पर डिफ़ॉल्ट वास्तविक भुगतान/चूक के सुधार की तारीख तक लगाया गया है। यह बैंक के अन्य अधिकारों और उपायों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थानापन्न ब्याज का भुगतान करने का दायित्व उधारकर्ता को इस बचाव का दावा करने का अधिकार नहीं देगा कि इसके तहत उल्लिखित चूक की कोई घटना नहीं हुई है।

4. संवितरण का विवरण

4.1 उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच पारस्परिक रूप से निर्धारित अनुसार, ऋण/सीमा का संवितरण एकमुश्त या उपयुक्त किस्तों/ट्रांचों में करेगा।

4.2 संवितरण का तरीका और तरीका ऋणदाता/बैंक के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाता है।

4.3 ऋण/सीमा के संवितरण की तारीख से ऋण/सीमा पर ब्याज ऋणदाता के पक्ष में जमा होना शुरू हो जाएगा।

4.4 इस समझौते के तहत आहरण करने का उधारकर्ता का अधिकार अनुसूची-I में निर्दिष्ट ऋण/सीमा की वैधता अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा। ऋणदाता उधारकर्ता को नोटिस द्वारा ऋण/सीमा के आगे के संवितरण को निलंबित या रद्द कर सकता है, यदि ऋण/सीमा अनुसूची I (जैसा लागू हो) में निर्दिष्ट वैधता अवधि के भीतर पूरी तरह से नहीं खींची गई है या ऐसी अन्य अवधि जो ऋणदाता द्वारा तय की जा सकती है।

4.5 यदि कोई पैसा बकाया है और उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय है, चाहे वह इस समझौते के तहत, या किसी अन्य लेनदेन दस्तावेज के तहत या अन्यथा, तो ऋणदाता, अपने विवेकाधिकार में, ऋण/सीमा की राशि की उपलब्धता को कम कर सकता है और/या ऐसे धन को ऋण/सीमा के खिलाफ समायोजित कर सकता है और ऐसे सभी समायोजनों को उधारकर्ता द्वारा संवितरण के रूप में माना जाएगा।

4.6 संवितरण से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में ऋणदाता का निर्णय अंतिम, निर्णायक और उधारकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा।

5. चुकौती

5.1 उधारकर्ता बिना किसी डिमर्स, विरोध या डिफॉल्ट के और संबंधित देय तिथियों पर किसी भी सेट-ऑफ या काउंटरक्लेम का दावा किए बिना ईएमआई और अन्य सभी बकाया दायित्वों का पूरा भुगतान करेगा। संबंधित देय तिथियों पर बकाया दायित्वों का शीघ्र और नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उधारकर्ता को उसके दायित्व और जिम्मेदारी के बारे में कोई नोटिस, अनुस्मारक या सूचना नहीं दी जाएगी।

5.2 लेन-देन दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को बकाया दायित्वों का पुनर्भुगतान निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से देय होगा:

I. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली;
II. स्थायी निर्देश विवरण जिसका उल्लेख **अनुसूची I** में ऋणदाता के साथ उधारकर्ता के खाते से सीधे डेबिट के लिए किया गया है।
III. अनुबंध की अनुसूची I में निर्दिष्ट कोई अन्य तरीका

5.3 ऋणदाता को किसी भी समय बकाया दायित्वों की पुनर्भुगतान शर्तों की समीक्षा और पुनर्निर्धारण करने का अधिकार होगा, इस तरह से और इस हद तक कि ऋणदाता अपने विवेकाधिकार से निर्णय ले सकता है। ऐसी स्थिति में, उधारकर्ता संशोधित अनुसूची के अनुसार बकाया दायित्वों का पुनर्भुगतान करेगा जैसा कि ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को लिखित रूप में सूचित किया गया है।

उधारकर्ता हस्ताक्षर _____ सह-उधारकर्ता (ओं) हस्ताक्षर _____

5.4 उधारकर्ता जनादेशों, समझौतों और/या अन्य दस्तावेजों को तुरंत बदल देगा और नियत तारीख या ईएमआई की राशि में किसी भी बदलाव की स्थिति में ऋणदाता की संतुष्टि के लिए नए जनादेश, समझौते और/या अन्य दस्तावेज जारी करेगा या यदि ऋणदाता को इस तरह के जारी करने वाले डेबिट निर्देशों को प्रस्तुत करने में किसी भी कारण से किसी भी कठिनाई/असुविधा/बाधा का सामना करना पड़ रहा है या यदि ऋणदाता द्वारा किसी भी समय आवश्यक हो तो एकमात्र विवेक।

5.5 आवेदन पत्र में उधारकर्ता द्वारा चुने गए भुगतान/पुनर्भुगतान के तरीके पर ध्यान दिए बिना, ऋणदाता, जैसा कि वह उचित और आवश्यक समझे, ईएमआई के भुगतान और/या संग्रह और बकाया दायित्वों सहित अन्य सभी राशियों के संग्रह की आवश्यकता का हकदार होगा, आरबीआई की इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से, स्वयं या इसके लिए अनुमत ऐसे अन्य व्यक्ति के माध्यम से।

5.6 ऋणदाता, अपने विवेकाधिकार में, उधारकर्ता को भुगतान के किसी भी वैकल्पिक तरीके को अपनाने या स्विच करने की आवश्यकता हो सकती है और उधारकर्ता बिना किसी देरी या देरी के इस तरह के अनुरोध का पालन करेगा।

5.7 इस समझौते में निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, सीमा उधारकर्ता को लिखित रूप में 7 (सात) स्पष्ट कार्य दिवसों का नोटिस देकर सीमा की अवधि के दौरान किसी भी समय बैंक द्वारा की जा रही मांग पर चुकाने योग्य होगी। नोटिस की अवधि समाप्त होने पर, ओवरड्राफ्ट सुविधा उधारकर्ता द्वारा बैंक को तुरंत चुकाई योग्य होगी।

5.8 यदि ऊपर बताए गए अनुसार पहले मांग नहीं की गई है, तो उधारकर्ता द्वारा बैंक को सीमा का पुनर्भुगतान (मूलधन, उस पर ब्याज और किसी भी अन्य शुल्क, प्रीमियम, शुल्क, कर लेवी या इस समझौते के संदर्भ में उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय अन्य बकाया राशि सहित) को इसके बाद प्रदान किए गए तरीके से सीमा की अवधि में फैलाया जाना चाहिए।

5.9 सेट ऑफ - यहां ऊपर बताई गई बातों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत होता है और पुष्टि करता है कि उधारकर्ता द्वारा ओवरड्राफ्ट सुविधा या किसी अन्य ऋण/सीमा/सुविधा के तहत बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में, किसी भी सामान्य या समान ग्रहणाधिकार के अलावा, जिसके लिए बैंक या उसकी कोई सहायक कंपनी/सहयोगी कानून द्वारा हकदार हो सकती है, बैंक, उधारकर्ता के साथ किसी अन्य समझौते के तहत अपने किसी भी विशिष्ट अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने विवेकाधिकार पर और उधारकर्ता को बिना किसी सूचना के, उधारकर्ता के किसी भी खाते (सावधि जमा खाते सहित) में (चाहे अकेले या संयुक्त रूप से किसी अन्य या अन्य के साथ संयुक्त रूप से) बैंक या उसकी किसी भी सहायक कंपनी/सहयोगी के साथ या उसके द्वारा या उसके प्रति किसी भी अन्य धन या राशि को लागू करने के लिए स्वतंत्र होगा बकाया राशि का भुगतान। इस समझौते के तहत बैंक के अधिकार अन्य अधिकारों और उपायों (बिना किसी सीमा के, अन्य अधिकारों या सेट ऑफ सहित) के अतिरिक्त हैं जो बैंक के पास हो सकते हैं।

5.10 टर्मिनल लाभ - संपूर्ण बकाया राशि उधारकर्ता द्वारा बैंक को तुरंत देय होगी, यदि उधारकर्ता किसी भी सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनता है या अपने नियोक्ता से किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करता है, जो सेवानिवृत्ति से पहले या नियोक्ता द्वारा किसी भी कारण से अपना रोजगार समाप्त करने या नियोक्ता द्वारा इस्तीफा देने या सेवानिवृत्त होने पर कोई लाभ प्रदान करता है। ऐसे मामले में, बकाया बकाया राशि का भुगतान ऐसी योजना या प्रस्ताव या किसी भी टर्मिनल लाभ के तहत नियोक्ता से उसके द्वारा प्राप्त राशि या राशि, जैसा भी मामला हो, से किया जा सकता है। बशर्ते, उक्त राशि या राशि बैंक को उक्त रकम को पूरी तरह से चुकाने के लिए अपर्याप्त होने की स्थिति में, बैंक को देय शेष अवैतनिक राशि का भुगतान उधारकर्ता द्वारा तुरंत किया जाएगा। उधारकर्ता एतद्द्वारा बैंक को उधारकर्ता के नियोक्ता से सीधे संवाद करने और उक्त राशि प्राप्त करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करता है।

6. ऋण/सीमा का पूर्व-भुगतान

6.1 ऋणदाता, अपने विवेकाधिकार में और पूर्व-भुगतान शुल्क, आदि जैसी शर्तों पर, जैसा कि वह निर्धारित कर सकता है, ईएमआई के पूर्व-भुगतान/त्वरण की अनुमति दे सकता है। यदि ऋणदाता द्वारा अनुमति दी जाती है, तो उधारकर्ता ऋण/सीमा की पूरी राशि का पूर्व-भुगतान करने के अपने इरादे की पूर्व लिखित सूचना देगा और ऋणदाता को अनुसूची। में उल्लिखित ऐसे पूर्व-भुगतान शुल्कों का भुगतान करेगा, जैसा कि लागू हो और समय-समय पर ऋणदाता द्वारा परिवर्तन के अधीन है।

6.2 यदि उधारकर्ता सभी बकाया राशि का भुगतान करके और इस ओवरड्राफ्ट सुविधा समझौते को समाप्त करके ओवरड्राफ्ट सुविधा को समय से पहले बंद करने का इच्छुक है, तो उधारकर्ता अनुसूची। में दर्शाए गए परिचालन सीमा के ऐसे प्रतिशत पर बैंक को समयपूर्व बंद करने के शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7. संवितरण के लिए पूर्ववर्ती शर्तें

7.1 ऋण/सीमा या उसकी किसी भी किश्त के किसी भी संवितरण के लिए पूर्ववर्ती शर्तें निम्नलिखित होंगी:

I. पहले संवितरण से पूर्व, खंड 8 में वर्णित प्रतिभूति/सुरक्षा सृजित की जा चुकी होनी चाहिए।

II. डिफ़ॉल्ट या क्रॉस डिफॉल्ट या भौतिक प्रतिकूल प्रभाव की कोई घटना नहीं हुई होगी।

III. ऋण/सीमा या उसकी किश्त के संवितरण के लिए अनुरोध के समय, उधारकर्ता ऋण/सीमा या उसकी किसी भी किश्त के संवितरण की आय के प्रस्तावित उपयोग के ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करेगा जो ऋणदाता के लिए संतोषजनक हो, जब भी ऋणदाता द्वारा यह प्रमाण देने के लिए आवश्यक हो कि ऋण/सीमा का उपयोग केवल इस उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

IV. कोई असाधारण या अन्य परिस्थितियां नहीं होंगी जो उधारकर्ता के लिए इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करना असंभव बना देंगी।

V. उधारकर्ता ने सभी लेनदेन दस्तावेजों को निष्पादित और वितरित किया होगा।

VI. उधारकर्ता बैंक की साख योग्यता की आवश्यकता को पूरा करता है। बैंक उधारकर्ता की ऋण योग्यता का आकलन करने के लिए बैंक के रूप में उचित समझे जाने के लिए पूछताछ करने या करने का हकदार होगा।

VII. उधारकर्ता को किसी भी कार्रवाई, वाद की कार्यवाही, समापन/दिवालिया कार्यवाही या उसके खिलाफ शुरू की गई लंबित जांच के बारे में बैंक को सूचित करना होगा।

VIII. बैंक को कोई भी संवितरण करते समय संतुष्ट होना चाहिए कि अनुसूची । में उल्लिखित उद्देश्य के लिए और उधारकर्ता द्वारा निर्धारित के रूप में आवश्यक है और उधारकर्ता ओवरड्राफ्ट सुविधा के संवितरण की आय के प्रस्तावित उपयोग के बैंक को संतोषजनक साक्ष्य प्राप्त करेगा।

IX. उधारकर्ता ने किसी भी पूर्व संवितरण, यदि कोई हो, की आय के उधारकर्ता द्वारा उपयोग के बारे में बैंक को संतुष्ट किया होगा

8. प्रतिभूति

8.1 उधारकर्ता इस बात से सहमत होता है, और वचन देता है कि ऋणदाता, संपत्ति पर पहला और अनन्य शुल्क होगा और उधारकर्ता ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के अलावा, किसी अन्य व्यक्ति या निकाय के पक्ष में संपत्ति में कोई अन्य भार, शुल्क या सुरक्षा हित नहीं बनाएगा।

8.2 यदि किसी प्रतिभूतियों का मूल्य अपर्याप्त/गलत पाया जाता है, तो उधारकर्ता को ऋणदाता द्वारा आवश्यक अतिरिक्त प्रतिभूति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाएगा।

8.3 ऋण/सीमा के संबंध में उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को प्रस्तुत की गई प्रतिभूतियों को विधिवत पूर्ण किया जाएगा और ऋणदाता के लिए निरंतर प्रतिभूतियों के रूप में रहेगा और यह उधारकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा।

8.4 उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि प्रतिभूतियों को उधारकर्ता द्वारा मध्यवर्ती भुगतान या उधारकर्ता द्वारा खातों के किसी भी निपटान द्वारा तब तक निर्मोचन/जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि बकाया दायित्वों का पूरी तरह से भुगतान ऋणदाता की संतुष्टि के लिए नहीं कर दिया जाता है और ऋणदाता उधारकर्ता को लिखित रूप में प्रतिभूतियों के संबंध में निर्वहन/रिलीज देने के लिए सहमत नहीं हो जाता है।

8.5 प्रतिभूतियां किसी अन्य प्रतिभूति के अतिरिक्त होंगी और न ही किसी अन्य प्रतिभूति के अवमूल्यन में होंगी, जिसे ऋणदाता किसी भी समय उधारकर्ता के बकाया के संबंध में धारण कर सकता है और ऋणदाता के लिए तब तक उपलब्ध रहेगा जब तक कि ऋणदाता/सीमा के संबंध में ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच सभी खातों का निपटान नहीं हो जाता।

8.6 उधारकर्ता आगे सहमत है कि प्रतिभूतियां अन्य सभी धन के लिए भी सुरक्षा होंगी जो उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय और देय हो सकती हैं, किसी भी खाते पर, चाहे वह वर्तमान हो या भविष्य, जिसमें उधारकर्ता की कोई भी देयता या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ जमानतदार या सह-बाध्यकारी के रूप में शामिल है।

8.7 उधारकर्ता ऋणदाता को एक पावर ऑफ अटॉर्नी प्रदान करेगा जो ऋणदाता को लेन-देन दस्तावेजों के तहत बनाई गई सुरक्षा को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी चीजें करने के लिए अधिकृत करेगा और उसके संबंध में अन्य सभी चीजें करेगा।

8.8 इस समझौते के तहत देय सीमा, ब्याज, शुल्क, शुल्क और अन्य सभी राशियों का पुनर्भुगतान अनुसूची। में निर्दिष्ट संपत्ति पर एक मॉर्गेज द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। (ए) मौजूदा प्रतिभूति के बाजार मूल्य से अधिक बकाया राशि, (बी) विनाश, क्षति, मूल्यह्रास, या प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट, या (सी) सुरक्षा शीर्षक अस्पष्ट, अविपणनयोग्य, या बैंक की राय में भारित होने की स्थिति में, उधारकर्ता बैंक से लिखित नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर होगा, ऐसी अतिरिक्त या वैकल्पिक प्रतिभूति प्रस्तुत करना जो बैंक को स्वीकार्य हो । बैंक अपने विवेकाधिकार पर, उस

उधारकर्ता हस्ताक्षर _____ सह-उधारकर्ता (ओं) हस्ताक्षर _____

तरीके और रूप को तय करने का हकदार होगा जिसमें ऐसी प्रतिभूति बनाई जानी है, और उधारकर्ता किसी भी बांड, सीमा के लिए वचन पत्र और ऐसे सभी दस्तावेजों, मुख्तारनामा (अधिकारों)/उपक्रमों और समझौतों को निष्पादित करेगा जो इस सीमा के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय बैंक द्वारा अपेक्षित हो सकते हैं।

9. गारंटी

यदि ऋणदाता को ऐसी आवश्यकता होती है, तो उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा आवश्यक और ऋणदाता की संतुष्टि के लिए ऐसे व्यक्तियों द्वारा निष्पादित गारंटी प्राप्त करने के लिए सहमत होता है।

10. अनुबंध

10.1 विशेष सकारात्मक अनुबंध

उधारकर्ता ऋणदाता के साथ अनुबंध करता है कि ऋण/सीमा की अवधि के दौरान:

I. उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिभूतियों का मूल्य कम न हो।

II. उधारकर्ता लागू कानूनों के अनुसार सभी लागतों, शुल्कों, व्ययों, करों और ऐसे अन्य शुल्कों का भुगतान करेगा।

III. सामान्य चालू खाते के लिए लेनदेन पर लागू होने वाले अन्य शुल्क, जैसे डिमांड ड्राफ्ट, स्टॉप पेमेंट शुल्क आदि ओवरड्राफ्ट खाते के लिए लागू होंगे।

IV. उधारकर्ता द्वारा बैंक को भुगतान/देय सभी शुल्क गैर-वापसी योग्य हैं और उधारकर्ता एतद्द्वारा किसी भी परिस्थिति में बैंक से उसके द्वारा भुगतान किए गए किसी भी शुल्क की वापसी का दावा नहीं करने का वचन देता है। यदि उधारकर्ता ने ओवरड्राफ्ट सुविधा के उधारकर्ता के पूर्ण उपयोग से पहले इस समझौते में वर्णित डिफ़ॉल्ट की कोई घटना की है, तो उधारकर्ता को बैंक द्वारा ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत कोई और ड्रॉवल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मामले में, अनुसूची I में उल्लिखित ओवरड्राफ्ट सुविधा राशि के बावजूद, खाते में बकाया राशि को इस समझौते के प्रयोजन के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा माना जाएगा। यहां निहित किसी भी बात के होते हुए, बैंक को किसी भी समय या समय-समय पर, ओवरड्राफ्ट सुविधा की अवधि की समीक्षा करने और पुनर्निर्धारित करने का अधिकार होगा, इस तरह से और उस सीमा तक जो बैंक अपने विवेकाधिकार से ऐसे कारणों के कारण निर्णय ले सकता है जैसा कि बैंक यथोचित रूप से उचित समझे। ऐसी स्थिति में अधिकतम ओवरड्राफ्ट सीमा और/या, जैसा भी मामला हो, उधारकर्ता के लिए उपलब्ध परिचालन सीमा को बैंक द्वारा इस तरह से समायोजित किया जाएगा जैसा कि बैंक द्वारा अपने विवेकाधिकार में निर्धारित किया जा सकता है और उधारकर्ता को सूचित किया जा सकता है।

V. बैंक इस समझौते के अंतर्गत उधारकर्ता(ओं) द्वारा देय और भुगतान योग्य अन्य सभी राशियों को, जिनमें ब्याज कर, शुल्क, स्टाम्प शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क, लॉगिन शुल्क, लागतें, कर एवं अन्य प्रभार, दावे और व्यय, जिनमें बैंक के पक्ष में सृजित प्रतिभूति के प्रवर्तन या प्रवर्तन के प्रयास में उधारकर्ता(ओं) द्वारा किए जा सकने वाले व्यय भी शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, उधारकर्ता(ओं) के ऋण खाते में डेबिट करने का अधिकारी होगा, जब तक कि उधारकर्ता(ओं) द्वारा बैंक को पृथक रूप से उनकी प्रतिपूर्ति न कर दी जाए। ऐसी राशियाँ सीमा का भाग बनेंगी।

VI. भुगतान के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से सभी राशियां (अर्थात बैंक के कारण उधारकर्ता द्वारा भुगतान नहीं की गई हैं) जिसमें लागत, प्रभार और ऋण खाते में डेबिट किए गए व्यय शामिल हैं, इस तरह के संशोधन के लिए कोई कारण निर्दिष्ट करने की आवश्यकता के बिना दंडात्मक ब्याज/शुल्क आकर्षित होंगे और इसके बाद ब्याज और दंड शुल्क अनुसूची के अनुसार ऐसी संशोधित दरों पर अर्जित होंगे।

VII. ओवरड्राफ्ट सुविधा के पुनर्भुगतान से संबंधित प्रावधानों सहित इसमें निहित किसी भी नियम और शर्तों के उधारकर्ता द्वारा किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप उधारकर्ता को अनुसूची-I में उल्लिखित दर पर प्रतिस्थापित/दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा, जो इसके तहत पूरे देय (जो देय हैं और भुगतान नहीं किए गए हैं) पर लिखा गया है, जो प्रासंगिक नियत तारीख से लगाया जाएगा, जिस पर वास्तविक भुगतान/सुधार की तारीख तक डिफ़ॉल्ट हुआ है। डिफ़ॉल्ट। यह बैंक के अन्य अधिकारों और उपायों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थानापन्न ब्याज का भुगतान करने का दायित्व उधारकर्ता को इस बचाव का दावा करने का अधिकार नहीं देगा कि इसके तहत उल्लिखित चूक की कोई घटना नहीं हुई है।

VIII. यदि उधारकर्ता ओवरड्राफ्ट सुविधा की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के दौरान ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग नहीं करता है या ओवरड्राफ्ट सुविधा का सीमित उपयोग करता है, तो उधारकर्ता बैंक को अनुसूची-I में उल्लिखित गैर-उपयोग शुल्क का भुगतान करेगा।

IX. उधारकर्ता द्वारा उक्त खाते पर देय अन्य प्रभार उक्त खाते के समान खातों पर लागू खाता खोलने के नियमों और शर्तों के अनुसार होंगे।

X. बैंक इस समझौते के निष्पादन और मुहर लगाने, नवीनीकरण शुल्क, मूल्यांकन शुल्क, कानूनी शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क और लागू करों के साथ इस समझौते के अनुसार किसी भी अन्य दस्तावेज या सुरक्षा निर्माण सहित सीमा के संबंध में बैंक द्वारा किए गए किसी भी शुल्क या लागत या दावों को उधारकर्ता से वसूलने का हकदार होगा।

XI. उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को अपनी चल और अचल संपत्तियों के निरीक्षण के उद्देश्य से उधारकर्ता के कार्यालय तक मुफ्त पहुंच की अनुमति देगा।

XII. उधारकर्ता तुरंत ऋणदाता को लिखित सूचना देगा (i) कोई भी विवाद जो उधारकर्ता और किसी भी व्यक्ति या किसी भी सरकारी निकाय या व्यवसाय या प्रतिभूतियों से संबंधित या उससे संबंधित प्राधिकरण के बीच उत्पन्न हो सकता है; (ii) प्रतिभूतियों के खिलाफ लगाए जा रहे किसी भी संकट या निष्पादन; (iii) यहां निर्धारित तरीके से ऋण/सीमा को चुकाने के लिए उधारकर्ता की क्षमता को प्रभावित करने वाली कोई भी भौतिक परिस्थिति; (iv) इसके पते में परिवर्तन या उसके संबंध में कोई अन्य भौतिक परिवर्तन।

XIII. उधारकर्ता ऋणदाता के अनुरोध पर ऐसे कार्यों, कर्मों, मामलों और चीजों को निष्पादित करेगा, जैसा कि ऋणदाता इस समझौते के लिए प्रदान की गई सुरक्षा को पूरा करने या पूरा करने के लिए आवश्यक समझता है।

XIV. उधारकर्ता इस बात की पुष्टि करेगा कि ऋण/सीमा के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज की सही प्रतियां वास्तविक हैं। ऋणदाता किसी भी समय ऐसी किसी भी/सभी प्रतियों की मूल प्रतियों के सत्यापन के लिए कॉल कर सकता है या इसकी आवश्यकता हो सकती है। ऋणदाता के कब्जे में ऐसी कोई भी प्रति केवल उधारकर्ता द्वारा दी गई मानी जाएगी।

XV. उधारकर्ता ऋणदाता के पक्ष में उधारकर्ता द्वारा बनाई गई ऋण/सीमा और/या सुरक्षा के संबंध में उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निष्पादित दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क में किसी भी कमी को पूरा करने की सभी लागतों को वहन करेगा।

XVI. उधारकर्ता ऋणदाता से ऐसा अनुरोध प्राप्त करने के 7 (सात) दिनों के भीतर ऋणदाता द्वारा आवश्यक होने पर ऋण/सीमा का अंतिम उपयोग विवरण प्रदान करेगा।

XVII. ओवरड्राफ्ट खाते की समीक्षा पिछले प्रदर्शन/लेखा आचरण के आधार पर हर बारह महीने में की जाएगी। बैंक को इस सुविधा को कम करने/संशोधित करने/फ्रीज/वापस लेने का अधिकार है। उधारकर्ता सहमत होता है और बैंक को 12 महीने के अंत में अपने विवेकाधिकार पर सुविधा की समीक्षा करने के लिए अधिकृत करता है। बैंक अपने विवेकाधिकार पर सुविधा को संशोधित कर सकता है और उधारकर्ता को इसकी सूचना दे सकता है। यदि ऐसी संशोधित शर्तें स्वीकार्य नहीं हैं, तो उधारकर्ता सुविधा के संबंध में सभी बकाया राशि का भुगतान करके उक्त सुविधा को बंद करने का विकल्प चुन सकता है। हालांकि, यदि उधारकर्ता समीक्षा तिथि के अनुसार संशोधन के बाद सुविधा का उपयोग करता रहता है, तो इसे नवीनीकृत/संशोधित स्वीकृति नियमों और शर्तों की स्वीकृति माना जाएगा।

10.2 नकारात्मक अनुबंध

उधारकर्ता ऋणदाता के साथ आगे अनुबंध करता है कि जब तक, ऋणदाता अन्यथा पहले लिखित रूप में अनुमोदित नहीं करता है, तब तक उधारकर्ता यह नहीं करेगा:

I. उधारकर्ता अपने संविधान, व्यवसाय, प्रबंधन, स्वामित्व या नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं करेगा और अपने संवैधानिक/निगमन दस्तावेजों में कोई बदलाव नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति, संस्था या स्थानीय या सरकारी निकाय के साथ कोई समझौता या व्यवस्था करना

a) प्रतिभूतियों या उसके किसी भी हिस्से के हिस्से के रूप में अचल संपत्तियों के उपयोग, कब्जे या निपटान के लिए

b) उधारकर्ता की किसी भी संपत्ति के संबंध में इस तरह कि ऋण/सीमा पर इसका भौतिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

II. किसी के लिए भी जमानतदार खड़े हों या किसी भी ऋण/सीमा या किसी परिसंपत्ति के खरीद मूल्य के पुनर्भुगतान की गारंटी दें।

III. किसी भी दस्तावेज को निष्पादित करें, जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी, या कोई अन्य समान या अन्य विलेख, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में प्रतिभूतियों से किसी भी तरह से निपटने के लिए, सिवाय इसके कि ऋणदाता द्वारा आवश्यक हो।

उधारकर्ता हस्ताक्षर _____

सह-उधारकर्ता (ओं) हस्ताक्षर _____

IV. किसी भी व्यक्ति से उधार लें या किसी भी संपत्ति को तब तक चार्ज करें जब तक कि बकाया दायित्वों का पूरा भुगतान न कर दिया जाए।

V. ऐसी कोई भी कार्रवाई करना जिससे ऋण/सीमा का ऋण अवैध हो जाता हो ।

11. प्रतिनिधित्व और वारंटी

11.1 उधारकर्ता निम्नानुसार ऋणदाता का प्रतिनिधित्व करता है, वारंट करता है और वचन देता है:

I. उधारकर्ता के पास लेन-देन दस्तावेजों को निष्पादित करने की क्षमता और शक्ति है और उसने लेन-देन दस्तावेजों के निष्पादन के संबंध में आवश्यक अनुमोदन ले लिया है, जो अनुमोदन ऋण/सीमा की अवधि के दौरान वैध और निर्वाह में रहेगा।

II. उधारकर्ता ऋणदाता को आश्वासन देता है कि उधारकर्ता के पास प्रतिभूतियों पर पूर्ण स्पष्ट और विपणन योग्य शीर्षक है, उसने उचित देखभाल और सावधानी बरती है (जिसमें जहां आवश्यक हो, कर/कानूनी/लेखा/वित्तीय/अन्य पेशेवरों की सलाह प्राप्त करना) और यह कि प्रतिभूतियां पूरी तरह से भारमुक्त हैं और किसी भी दायित्व से मुक्त हैं।

III. उधारकर्ता पुष्टि करता है कि उधारकर्ता द्वारा या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही (किसी भी रूप में) या जांच लंबित या धमकी नहीं दी गई है, जिसका भौतिक प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

IV. कोई घटना, परिस्थिति या स्थिति नहीं हुई है, जो प्रतिभूतियों के प्रति उधारकर्ता या ऋणदाता के अधिकार को प्रभावित कर सकती है या प्रतिभूतियों के प्रवर्तन में बाधा डाल सकती है और कोई भौतिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ है।

V. प्रतिभूतियां केंद्र/राज्य सरकार या सुधार ट्रस्ट या किसी अन्य सार्वजनिक निकाय या स्थानीय प्राधिकरण की किसी भी योजना में या किसी भी निगम, नगर समिति, ग्राम पंचायत आदि की किसी भी योजना के तहत सड़क के किसी भी संरेखण, चौड़ीकरण या निर्माण में शामिल या प्रभावित नहीं हैं।

VI. उधारकर्ता ने भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण को देय करों, करों और अन्य सभी राजस्व जैसी सभी सार्वजनिक मांगों का भुगतान किया है और भुगतान करेगा और वर्तमान में ऐसे करों और राजस्व का कोई बकाया नहीं है। (क) जहां तक लागू हो, ऋण/सीमा का लाभ उठाना और अधिकारों का प्रयोग करना और दायित्वों का निष्पादन या किसी अन्य सुरक्षा/लेन-देन दस्तावेजों के तहत निजी और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किए गए और निष्पादित किए गए निजी और वाणिज्यिक कार्यों का गठन करेगा। (ख) उधारकर्ता इस करार और अन्य सुरक्षा/लेन-देन दस्तावेजों के संबंध में किसी भी कार्यवाही में मुकदमे, निष्पादन, कुर्की या अन्य कानूनी प्रक्रिया से अपने या अपनी परिसंपत्तियों और संपत्तियों के लिए प्रतिरक्षा का हकदार नहीं है/नहीं करेगा और न ही करेगा।

VII. उधारकर्ता और/या उसके किसी भी निदेशक, भागीदार, सदस्य, जैसा भी मामला हो, को विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया हो

11.2 उधारकर्ता पुष्टि करता है कि इसमें निहित अभ्यावेदन और वारंटी को उधारकर्ता द्वारा इस समझौते की तारीख से प्रत्येक दिन और प्रत्येक दिन दोहराया जाना माना जाएगा, जब तक कि उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को इसके तहत देय या देय सभी राशियों का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है, जैसे कि ऐसे दिन मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में किया गया हो।

12. सुरक्षा-कवच

12.1 उधारकर्ता, बकाया दायित्वों के पूर्ण पुनर्भुगतान तक, पूरी तरह से बीमा करेगा, और संपत्ति और अन्य सभी संपत्तियों को रखेगा, जिस पर प्रतिभूतियां ऋणदाता के पक्ष में बनाई गई हैं, इसलिए सभी व्यापक जोखिमों के खिलाफ बीमित हैं और ऐसी पॉलिसी/शर्तों के लाभों को ऋणदाता के नाम से उचित रूप से समर्थित और ऐसी बीमा पॉलिसी/योजनाओं में 'समनुदेशिती' के रूप में दर्ज किया जाएगा, ऋणदाता द्वारा आवश्यक मूल्य के लिए और समय-समय पर ऋणदाता को उसके साक्ष्य प्रस्तुत करना और जहां भी ऐसा करने के लिए कहा जाता है।

12.2 उधारकर्ता, बकाया दायित्वों के पूर्ण पुनर्भुगतान तक, यह सुनिश्चित करेगा कि उपर्युक्त बीमा पॉलिसी/कंपनियां वैध, निर्वाह और परिचालन हैं और प्रीमियम का समय पर भुगतान करेंगे। ऋणदाता उधारकर्ता की ओर से प्रीमियम का भुगतान करने और उधारकर्ता से इसकी प्रतिपूर्ति करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

12.3 ऋणदाता को ऋण/सीमा के खिलाफ किसी भी बीमा पॉलिसी/पॉलिसियों के संबंध में प्राप्त होने वाले किसी भी भुगतान को प्राप्त करने और समायोजित करने का अधिकार होगा और इसके तहत अनुसूची । में निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची को किसी भी तरह से बदल सकता है, जैसा कि वह इस समझौते या किसी अन्य दस्तावेज या कागज में निहित विपरीत कुछ भी हो सकता है।

13. डिफ़ॉल्ट की घटना

13.1 निम्नलिखित में से प्रत्येक घटना को "**डिफ़ॉल्ट की घटना" के रूप में माना जाएगा:**

a) यदि ऋण/सीमा के अनुसरण में इस समझौते या लेनदेन दस्तावेजों के तहत देय और देय किसी भी राशि के भुगतान में कोई चूक हुई है;

b) यदि इस समझौते या किसी भी लेनदेन दस्तावेज़ के किसी भी नियम और शर्तों का कोई उल्लंघन होता है;

c) यदि ऋण/सीमा का लाभ उठाते समय या इस समझौते में या किसी भी लेनदेन दस्तावेज में उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को दी गई कोई भी जानकारी भ्रामक या गलत पाई जाती है;

d) यदि कोई भी प्रतिभूति मूल्य में मूल्यह्रास करती है या खतरे में है, या यदि प्रतिभूतियों पर अधिकार बदल दिए जाते हैं या यदि प्रतिभूतियों को लागू करने के लिए ऋणदाता की क्षमता प्रभावित होती है।

e) यदि उधारकर्ता ऋणदाता को डिफ़ॉल्ट की किसी भी घटना या किसी भी घटना की घटना के बारे में सूचित करने में विफल रहता है, जो नोटिस या समय बीतने के बाद, या दोनों के बाद, डिफ़ॉल्ट की घटना बन जाएगी;

f) उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता, किसी भी बैंक और/या वित्तीय संस्थान/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और/या अन्य लेनदारों के साथ किए गए किसी भी ऋण सुविधा समझौते या व्यवस्था के तहत उधारकर्ता द्वारा कोई भी चूक, इस समझौते के तहत डिफ़ॉल्ट की घटना का गठन करेगा और इसके विपरीत ("क्रॉस डिफॉल्ट");

g) यदि उधारकर्ता एक कंपनी है, यदि उधारकर्ता के खिलाफ एक समापन याचिका दायर की गई है और उसे पहली सुनवाई या प्रवेश की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर खाली नहीं किया गया है, रोक दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है, जो भी जल्दी हो या यदि उधारकर्ता के खिलाफ कोई कार्यवाही या मुकदमा शुरू किया गया है या धमकी दी गई है और ऐसी कार्यवाही शुरू होने से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर या यदि कोई प्राधिकरण लिया गया है तो रोक या निपटाया नहीं गया है कोई भी कार्रवाई जिसके तहत उधारकर्ता को अपनी संपत्ति के पर्याप्त हिस्से से वंचित किया जाता है, और इसे ऐसी कार्रवाई शुरू करने की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर खाली नहीं किया जाता है, रुका नहीं जाता है या समाप्त नहीं किया जाता है;

h) यदि उधारकर्ता एक साझेदारी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, यदि उधारकर्ता को भंग कर दिया जाता है या उसे या उसके किसी भी भागीदार को विघटन की सूचना दी जाती है या यदि उधारकर्ता या उसका कोई भागीदार दिवालिया होने का कार्य करता है या दिवालिया घोषित होने के लिए आवेदन करता है या इसे या उन्हें या उनमें से किसी को दिवालिया घोषित करने का आदेश पारित किया जाता है;

i) यदि उधारकर्ता एक व्यक्ति है, यदि उधारकर्ता दिवालिया हो जाता है या उधारकर्ता के खिलाफ कोई दिवालिया कार्यवाही शुरू की जाती है, जो भी पहले हो।

एसएमए/एनपीए वर्गीकरण:

उधारकर्ता खातों का एसएमए/एनपीए के रूप में वर्गीकरण प्रासंगिक तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया में किया जाएगा। एसएमए/एनपीए की तारीख उस कैलेंडर तिथि के दिन के अंत में किसी खाते की परिसंपत्ति वर्गीकरण स्थिति को दर्शाएगी।

एसएमए/एनपीए श्रेणियां – सावधि ऋण/सीमा	वर्गीकरण के आधार पर - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूरी तरह या आंशिक रूप से अतिदेय
एसएमए-0	30 दिनों तक
एसएमए-1	30 दिन से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक
एनपीए	90 दिनों से अधिक

उदाहरण: यदि किसी ऋण/सीमा खाते की देय तिथि 31 मार्च है, और इस तिथि से पहले पूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेय की तारीख 31 मार्च होगी, इसे 31 मार्च को एसएमए-0 के रूप में टैग किया जाएगा। यदि यह अतिदेय रहता है, तो इस खाते को 30 अप्रैल को एसएमए-1 के रूप में टैग किया जाएगा, यानी लगातार अतिदेय होने के 30 दिन पूरे होने पर। तदनुसार, उस खाते के लिए एसएमए -1 वर्गीकरण की तारीख 30 अप्रैल होगी। इसी तरह, यदि खाता अतिदेय रहता है, तो इसे 30 मई को एसएमए-2 के रूप में टैग किया जाएगा, और यदि यह आगे भी अतिदेय रहता है, तो इसे 29 जून को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

उधारकर्ता हस्ताक्षर _____

सह-उधारकर्ता (ओं) हस्ताक्षर _____

एसएमए/एनपीए श्रेणियां – ओवरड्राफ्ट ऋण/सीमा	वर्गीकरण के आधार पर – ब्याज या शुल्क अतिदेय
एसएमए-1	30 दिन से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक
एनपीए	खाता 90 दिनों से अधिक समय से "खराब हो गया" है

आउट ऑफ ऑर्डर: एक OD खाते को "आउट ऑफ ऑर्डर" माना जाता है यदि:

- बकाया शेष राशि 30 दिनों से अधिक समय तक स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से लगातार अधिक रहती है, या
- 90 दिनों तक लगातार कोई क्रेडिट नहीं है, या
- पिछले 90 दिनों के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए क्रेडिट पर्याप्त नहीं हैं।

14. ऋणदाता के उपाय

14.1 यदि चूक की कोई घटना होती है, तो, ऋणदाता, उधारकर्ता को एक लिखित नोटिस द्वारा बकाया दायित्वों और/या किसी अन्य राशि की घोषणा कर सकता है जो उधारकर्ता द्वारा लेन-देन दस्तावेजों और/या किसी अन्य समझौतों, उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच मौजूद दस्तावेजों के साथ-साथ अन्य सभी प्रभारों और देय राशियों के तहत या उनके संदर्भ में देय हो सकती है और ऐसी घोषणा पर यह देय हो जाएगा और तत्काल देय और किसी अन्य ऋण/सीमा के संबंध में प्रतिभूतियां और प्रतिभूतियां लागू करने योग्य हो जाएंगी, भले ही लेन-देन दस्तावेजों या किसी अन्य समझौते/दस्तावेजों में इसके विपरीत कुछ भी हो।

14.2 चूक की किसी भी घटना के होने पर, ऐसी चूक की गई राशि पर अतिरिक्त ब्याज लगेगा, जिसकी गणना संबंधित देय तिथियों से की जाएगी और मासिक आधार पर संयोजित की जाएगी।

14.3 यदि डिफ़ॉल्ट की कोई घटना या कोई घटना, जो नोटिस या समय के अंतराल या दोनों के बाद, डिफ़ॉल्ट की घटना का गठन करेगी, तो उधारकर्ता तुरंत ऋणदाता को लिखित रूप में इसकी सूचना देगा जिसमें डिफ़ॉल्ट की ऐसी घटना, या ऐसी घटना को निर्दिष्ट किया जाएगा।

14.4 नीचे दिए गए संबंध में डिफ़ॉल्ट की घटना होने के बाद ऋणदाता द्वारा किए गए सभी उचित लागतों को उधारकर्ता से लिया जा सकता है और प्रतिपूर्ति की जा सकती है, जैसा कि ऋणदाता निर्दिष्ट करेगा।

a) संपत्तियों का संरक्षण (चाहे अभी या इसके बाद मौजूद); या
b) लेन-देन दस्तावेजों के तहत देय राशि का संग्रह।

14.5 ऋणदाता लेन-देन दस्तावेजों के संदर्भ में उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को भुगतान की गई किसी भी राशि के भुगतान के संबंध में कोई प्रमाण पत्र केवल तभी जारी कर सकता है जब उधारकर्ता ने लेन-देन दस्तावेजों के तहत सभी बकाया दायित्वों और अन्य राशियों का भुगतान ऋणदाता को कर दिया हो और उधारकर्ता ने लेन-देन दस्तावेजों की सभी शर्तों का अनुपालन किया हो।

14.6 उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि किसी भी अन्य ऋण सुविधा के तहत उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को प्रदान की गई कोई भी सुरक्षा इस समझौते के तहत डिफ़ॉल्ट की घटना होने पर ऋणदाता को इस समझौते के तहत उपलब्ध होगी और इसके विपरीत।

14.7 ऋण/सीमा अतिदेय होने की स्थिति में, बैंक उधारकर्ता को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें पंद्रह (15) दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करना होगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है और बैंक के पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि उधारकर्ता जानबूझकर चूक कर रहा है, तो वह उधारकर्ता को आय के सभी स्रोतों को उसके शिवालिक बैंक के खाते में भेजने का निर्देश दे सकता है। अनुपालन करने में विफलता बैंक को निम्नलिखित में से कोई भी या सभी कार्रवाई करने का अधिकार देगा:

a) नकदी प्रवाह और ऋण/सीमा उपयोग को सत्यापित करने के लिए समवर्ती या मासिक लेखा परीक्षा करना।
b) आरबीआई के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ता को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत करें और खाते को एनपीए के रूप में घोषित करें।
c) कानून और इस समझौते के तहत अनुमति के अनुसार कानूनी कार्यवाही शुरू करना।उपरोक्त कार्यों को आगे बढ़ाने में बैंक द्वारा किए गए सभी कानूनी और संबंधित खर्च उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।

14.8 चूक की घटना के घटित होने पर, ऋणदाता किसी भी तरह से, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ या किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संवाद करने का हकदार होगा, जिसमें उधारकर्ता के कार्यालय और/या उधारकर्ता के किसी भी कार्य स्थान पर जाने के लिए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की सहायता प्राप्त करने की दृष्टि से शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है।

15. अधित्याग-पत्र

इस समझौते के तहत किसी भी चूक पर ऋणदाता को प्राप्त होने वाले किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने या छोड़ने में कोई देरी नहीं, मॉर्गेज विलेख या कोई अन्य समझौता या दस्तावेज, किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को क्षीण करेगा या इसकी छूट के रूप में माना जाएगा या इस तरह के डिफ़ॉल्ट में कोई भी स्वीकृति किसी अन्य चूक के संबंध में ऋणदाता के किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को प्रभावित या खराब कर देगी।

16. नियम और शर्तों की प्रभावी तिथि

यह समझौता इसके निष्पादन की प्रभावी तिथि से उधारकर्ता और ऋणदाता के लिए बाध्यकारी हो जाएगा। यह तब तक पूरी तरह से लागू होगा जब तक कि किसी अन्य समझौते के तहत बकाया दायित्वों और अन्य राशियों का भुगतान नहीं किया जाता है, दस्तावेज जो उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच निर्वाह / निष्पादित हो सकते हैं, ऋणदाता की संतुष्टि के लिए पूरी तरह से भुगतान नहीं किए जाते हैं।

17. प्रकटीकरण

उधारकर्ता एतद्द्वारा ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को दिए गए ऋण/सीमा की पूर्व-शर्त के रूप में सहमत होता है कि, ऋणदाता को ऋण/सीमा, उधारकर्ता और/या गारंटर (यदि ऋण/सीमा के संबंध में गारंटी प्रदान की जाती है) के बारे में जानकारी का खुलासा करने और प्रस्तुत करने का एक अयोग्य अधिकार है, जैसा कि वह उचित समझे, इसमें आरबीआई, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और आरबीआई द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य एजेंसी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

18. नियुक्ति

ऋणदाता अपने सभी अधिकारों, शीर्षक और ब्याज को ऋणदाता उचित समझता है और उधारकर्ता द्वारा किसी भी तरह से, यदि कोई हो, किसी भी तरह से प्रतिभूति के साथ या उसके बिना, ऋण/या असाइन करके या अन्यथा (उधारकर्ता की कीमत पर) को असाइन करने/बेचने/सुरक्षित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और उधारकर्ता एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत होता है कि उस स्थिति में, ऋणदाता को कोई अनुमति प्राप्त करने या उधारकर्ता को किसी भी नोटिस पर रखने की आवश्यकता नहीं है और उधारकर्ता करेगा नए ऋणदाता को नए/अतिरिक्त लेनदार के रूप में पहचानें।

19. क्षतिपूर्ति

उधारकर्ता ऋणदाता और उसके अधिकारियों/कर्मचारियों को ऋणदाता को होने वाले सभी प्रकार के नुकसान से क्षतिपूर्ति और हानिरहित रखने का वचन देता है, जिसमें उधारकर्ता की कार्रवाई/निष्क्रियता के परिणामस्वरूप, इस ऋण/सीमा के संबंध में ऋणदाता द्वारा की गई सभी लागतों, व्ययों, करों और अन्य लागतों तक सीमित नहीं है, लेकिन इन तक सीमित नहीं है, जिसमें तीसरे भाग के दावों या नियामकों या निवेश प्राधिकरणों के दावों के परिणामस्वरूप शामिल हैं। उधारकर्ता ऋणदाता को होने वाले नुकसान की घटना के तुरंत बाद, ऋणदाता को इस खाते पर किसी भी राशि का भुगतान बिना किसी डिमर, आरक्षण, प्रतियोगिता, विरोध के करता है।

20. भुगतान का विनियोग

मानक खाते - जब तक ऋणदाता द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, इस समझौते के तहत देय और देय और उधारकर्ता द्वारा किए गए किसी भी भुगतान को आदेश में ऐसे बकाया राशि के लिए विनियोजित किया जाएगा, अर्थात्: (i) ब्याज; (ii) ऋण/सीमा की मूल राशि; (iii) पूर्व भुगतान शुल्क और शुल्क; (iv) प्रशासनिक प्रभार और अन्य लागत, प्रभार, व्यय, आकस्मिक प्रभार और अन्य धन जो वसूली के संबंध में ऋणदाता द्वारा खर्च किए गए हो सकते हैं;

एनपीए खाते - एनपीए खातों (अपग्रेड के लिए पात्र नहीं) में वसूली का विनियोग निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा: (i) मूलधन; (ii) ब्याज; (iii) पूर्व भुगतान शुल्क और शुल्क; (iv) प्रशासनिक प्रभार और अन्य लागत, प्रभार, व्यय, आकस्मिक प्रभार और अन्य धन जो वसूली के संबंध में ऋणदाता द्वारा खर्च किए गए हो सकते हैं;

21. सूचना की सेवा

21.1 इस समझौते के तहत कोई भी नोटिस, मांग या अन्य संचार और इसके अनुसरण में अन्य दस्तावेजों को वितरित किया गया माना जाएगा (i) यदि व्यक्तिगत रूप से या कूरियर द्वारा वितरित किया जाता है, जब डिलीवरी पार्टी द्वारा डिलीवरी का प्रमाण प्राप्त किया जाता है; (ii) यदि पोस्टिंग के बाद दसवें दिन उसी देश के भीतर डाक द्वारा भेजा जाता है और यदि पोस्टिंग के बाद बीसवें दिन डाक द्वारा किसी अन्य देश में भेजा जाता है; (iii) यदि फैक्स द्वारा दिया गया है या बनाया गया है, तो प्रेषण पर और ऊपर प्रेषण की पुष्टि करने वाली ट्रांसमिशन रिपोर्ट प्राप्त होने पर; (iv) यदि ईमेल द्वारा दिया गया या बनाया गया है, तो प्रेषक से प्रेषण पर और प्राप्तकर्ता (प्राप्तकर्ताओं) को वितरित किए जाने के बाद; और (iv) यदि पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, तो प्रेषण के 4 (चार) दिनों के भीतर। उपरोक्त के रूप में नोटिस के प्रेषण के अनुसरण में, नोटिस भेजने वाला पक्ष अनुसूची । में उल्लिखित पते पर प्राप्तकर्ता पक्ष को पूरे नोटिस की सामग्री को ईमेल भी करेगा।

21.2 इस समझौते के तहत दी गई या की गई प्रत्येक नोटिस, मांग या अन्य संचार लिखित

उधारकर्ता हस्ताक्षर _____ सह-उधारकर्ता (ओं) हस्ताक्षर _____

रूप में या एसएमएस के माध्यम से संबंधित पार्टी को उसके पते या अनुसूची । में निर्धारित फैक्स नंबर पर भेजा जाएगा।

22. विच्छेदनीयता

करार के खंड और प्रत्येक खंड में निहित उपखंड विविच्छेजन हैं और किसी भी खंड या किसी उपखंड की अवैधता, अवैधता या अनियमितता, असंगति या प्रतिकूलता किसी भी तरह से किसी अन्य खंड या उपखंड की वैधता, वैधता या नियमितता को प्रभावित नहीं करेगी।

23. शासी कानून और क्षेत्राधिकार

23.1 यह करार भारत के कानूनों के अनुसार शासित होगा और उस शहर में सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा जहां ऋणदाता की संबंधित शाखा/कार्यालय स्थित है।

23.2 उपरोक्त खंड 23.1 के प्रावधान केवल ऋणदाता के लाभ के लिए हैं। परिणामस्वरूप, ऋणदाता को अधिकार क्षेत्र वाली किसी अन्य अदालत में विवाद से संबंधित कार्यवाही करने से नहीं रोका जाएगा। कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, ऋणदाता किसी भी संख्या में न्यायालयों में समवर्ती कार्यवाही कर सकता है।

23.3 खंड 23.1 के अधीन इस समझौते या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी संबंधित लेन-देन, या उसके उल्लंघन, समाप्ति या अमान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, विवाद या दावे को पहले मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ("अधिनियम") के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा और एक स्वतंत्र और तटस्थ द्वारा ऑनलाइन विवाद समाधान के माध्यम से संचालित और प्रशासित किया जाएगा, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार "जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड" नामक तीसरे पक्ष के संस्थान और "ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड" के नियमों और विनियमों के संयोजन में भी है, जो इंटरनेट पर उपलब्ध है और वेबसाइट पर होस्ट किया गया है arbitration.jupitice.com "जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड" द्वारा बनाए रखा गया। विवाद पर निर्णय लेने के लिए नियुक्त मध्यस्थता न्यायाधिकरण में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के अनुसार नियुक्त एक स्वतंत्र एकमात्र मध्यस्थ शामिल होगा, 1996, और "जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड" के नियम। मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत होगा। मध्यस्थता की सभी लागतें दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से वहन की जाएंगी। सभी मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी, और मध्यस्थता का प्रक्रियात्मक कानून भारतीय कानून होगा। मध्यस्थता न्यायाधिकरण का पुरस्कार अंतिम होगा और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा मध्यस्थ के चयन में बैंक का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होगा।

24. विविध प्रावधान

24.1 उधारकर्ता निम्नानुसार सहमत/पुष्टि करता है:

a) कि नियम और शर्तें और अनुसूची । के सभी अनुबंधों और विवरणों को इन उपहारों के भाग और पार्सल के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा।

b) कि ऋणदाता के पास अपनी सुरक्षा की प्राप्ति के लिए आकस्मिक और आवश्यक सभी शक्तियां होंगी।

c) यदि ऋण/सीमा गारंटी द्वारा समर्थित है, तो गारंटर एक प्रमुख देनदार के रूप में गारंटी विलेख के तहत उत्तरदायी होगा और उधारकर्ता के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होगा।

d) कि उधारकर्ता ऋणदाता लागतों (वकील और ग्राहक के बीच) की मांग पर भुगतान करेगा, जो उनके द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा इस समझौते की तैयारी, तल्लीनता और मुहर लगाने और समकक्षों को पंचक और निष्पादन में मुहर लगाने और ऋणदाता या उनमें से किसी के द्वारा किए गए या किए जाने वाले अन्य सभी लागतों के संबंध में या इसके संबंध में या इसके द्वारा बनाई गई सुरक्षा के प्रवर्तन या प्रवर्तन के प्रयास के साथ या रक्षा की सुरक्षा के प्रवर्तन के साथ किया जाएगा या उसकी पूर्णता या किसी भी धन की वसूली के लिए और सुरक्षा के प्रवर्तन या प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकृति के सभी मुकदमों और कार्यवाही।

e) इसमें निहित कुछ भी ऋणदाता के लिए उधारकर्ताओं की किसी भी ऋणग्रस्तता या देयता के लिए किसी भी वर्तमान या भविष्य की प्रतिभूतियों, गारंटी, दायित्व या डिक्री के संबंध में ऋणदाता के अधिकारों या उपचारों को संचालित नहीं करेगा या पूर्वाग्रह करने के लिए समझा जाएगा।

25. रिकवरी एजेंट की नियुक्ति

25.1 उधारकर्ता स्वीकार करता है और सहमत होता है कि ऋणदाता, अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर, उधारकर्ता द्वारा ऋण/सीमा या किसी भी बकाया देय राशि के पुनर्भुगतान में किसी भी डिफ़ॉल्ट की स्थिति में, ऋणदाता की ओर से कार्य करने के लिए एक वसूली एजेंट नियुक्त कर सकता है। ऋणदाता, उधारकर्ता को पूर्व सूचना दिए बिना, वसूली एजेंट को नियुक्त/पुनः नियुक्त करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

25.2 नियुक्त वसूली एजेंट के पास यह अधिकार होगा: (i) ऋणदाता की ओर से उधारकर्ता से मूलधन, ब्याज, दंड और अन्य शुल्कों सहित अतिदेय राशि एकत्र करें। (ii) ऋणदाता से अनुमोदन के अधीन, उधारकर्ता द्वारा बकाया किसी भी बकाया राशि पर बातचीत करना, समझौता करना या निपटान करना। (iii) कानूनी या अन्य कार्रवाई शुरू करना, जिसमें लागू कानूनों और इस समझौते की शर्तों के अनुसार, सुरक्षित संपत्ति का पुनर्कब्जा शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

25.3 उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा नियुक्त वसूली एजेंट के साथ सहयोग करने और वसूली की सुविधा के लिए वसूली एजेंट द्वारा अनुरोधित आवश्यक जानकारी या दस्तावेज प्रदान करने के लिए सहमत है। उधारकर्ता वसूली एजेंट को किसी भी तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करने से नहीं रोकेगा या बाधित नहीं करेगा।

25.4 वसूली एजेंट वसूली गतिविधियों के प्रदर्शन में भारतीय रिज़र्व बैंक (या संबंधित नियामक प्राधिकरण) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों सहित सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करेगा। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि ऋणदाता और वसूली एजेंट गोपनीयता बनाए रखेंगे और वसूली कार्रवाई करते समय नैतिक मानकों का पालन करेंगे।

25.5 कानूनी शुल्क सहित वसूली प्रक्रिया के संबंध में ऋणदाता और/या वसूली एजेंट द्वारा किए गए सभी उचित लागत और खर्च, उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे और बकाया राशि में जोड़े जाएंगे।

25.6 ऋणदाता इस खंड के तहत अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी भी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने या सौंपने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें वसूली एजेंट भी शामिल है, उधारकर्ता को पूर्व सूचना दिए बिना।

26. ग्रहणाधिकार और सेट ऑफ

26.1 **ग्रहणाधिकार**

उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋणदाता के पास उधारकर्ता की सभी संपत्तियों, संपत्तियों, प्रतिभूतियों, खातों और धन पर ग्रहणाधिकार, प्रभार और प्रतिधारण का अधिकार होगा, जो ऋणदाता के कब्जे, नियंत्रण या हिरासत में आ सकते हैं, चाहे सुरक्षा के माध्यम से या अन्यथा, ऋण/सीमा या इस समझौते के तहत बकाया किसी भी बकाया राशि के बकाया पुनर्भुगतान के लिए। ऋणदाता, किसी भी समय और उधारकर्ता को सूचना के बिना, मूलधन, ब्याज, दंड और अन्य शुल्कों सहित किसी भी बकाया बकाया राशि को पूरा करने के लिए ऐसी किसी भी संपत्ति को बनाए रख सकता है, बेच सकता है या महसूस कर सकता है।

26.2 **सेट-ऑफ का अधिकार**

उधारकर्ता द्वारा किसी भी चूक या इस समझौते के तहत देय किसी भी राशि को चुकाने में विफलता की स्थिति में, उधारकर्ता ऋणदाता को बिना किसी पूर्व सूचना या मांग के, उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता द्वारा दिए गए किसी भी बकाया राशि की संतुष्टि के लिए (चाहे अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया हो) में किसी भी शेष राशि को सेट ऑफ, उचित या लागू करने के लिए अधिकृत करता है। इस समझौते के तहत मूलधन, ब्याज, शुल्क, लागत या किसी भी अन्य देनदारियों सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। यह अधिकार ऋणदाता के विवेकाधिकार पर प्रयोग किया जा सकता है।

26.3 **अन्य अधिकारों की कोई छूट नहीं**

इस समझौते में प्रदान किए गए ग्रहणाधिकार और सेट-ऑफ के अधिकार लागू कानून या उधारकर्ता के साथ किसी अन्य समझौते के तहत ऋणदाता के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों या उपायों के अतिरिक्त होंगे और न ही उनके अपमान में।

26.4 **एकाधिक खाते**

इस घटना में कि उधारकर्ता ऋणदाता के साथ एक से अधिक खाते रखता है, ऋणदाता को ऐसे किसी भी या सभी खातों को संयोजित या समेकित करने का अधिकार होगा और ऐसे खातों में किसी भी या सभी शेष राशि के खिलाफ सेट-ऑफ के अधिकार का प्रयोग करेगा, भले ही नियम या शर्तों के तहत खाते खोले या बनाए रखे गए हों।

26.5 **सतत सुरक्षा**

यहां प्रदान किया गया ग्रहणाधिकार और सेट-ऑफ का अधिकार प्रकृति में जारी रहेगा और तब तक कायम रहेगा जब तक कि इस समझौते के तहत ऋणदाता को देय सभी राशियां पूरी तरह से चुकाई नहीं जाती हैं और ऋणदाता ने इस तरह के पुनर्भुगतान की

उधारकर्ता हस्ताक्षर _____ सह-उधारकर्ता (ओं) हस्ताक्षर _____

लिखित पुष्टि नहीं की है।

26.6 **कानूनी अधिकार**

उधारकर्ता स्वीकार करता है और सहमत होता है कि ऋणदाता के ग्रहणाधिकार और सेट-ऑफ अधिकार लागू कानूनों के अनुसार पूर्ण, अपरिवर्तनीय और लागू करने योग्य हैं, और उधारकर्ता कानून द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को छोड़कर, ऋणदाता के ऐसे अधिकारों के प्रयोग को चुनौती देने या चुनौती देने के किसी भी अधिकार को छोड़ देता है।

26.7 **तृतीय-पक्ष खाते**

एक संयुक्त खाते या किसी भी खाते के मामले में जिसमें उधारकर्ता एक सह-धारक है, उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋणदाता ऐसे खाते में पूरे शेष के संबंध में अपने ग्रहणाधिकार या सेट-ऑफ अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष के खाताधारकों द्वारा किसी भी दावे की परवाह किए बिना, लागू कानूनी प्रावधानों के अधीन।

27. लेखा परीक्षा और निरीक्षण

उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋणदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों, जिनमें बाहरी लेखा परीक्षक या नियामक प्राधिकरण शामिल हैं, को इस समझौते की अवधि के दौरान किसी भी समय, उधारकर्ता के वित्तीय रिकॉर्ड, खातों और प्रासंगिक दस्तावेजों की ऑडिट, निरीक्षण और जांच करने का अधिकार होगा, जो ऋण/सीमा या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति से संबंधित हैं, इस समझौते के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से।

27.1 **सहयोग और पहुंच**

उधारकर्ता किसी भी ऑडिट या जांच के दौरान ऋणदाता और उसके प्रतिनिधियों के साथ पूरी तरह से सहयोग करने के लिए सहमत होता है। इसमें ऋणदाता, उसके लेखा परीक्षकों या नियामक द्वारा उचित रूप से अनुरोधित खातों, रिकॉर्ड, चालान या किसी अन्य दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करना शामिल है। उधारकर्ता ऋणदाता या उसके प्रतिनिधियों को अपने किसी भी व्यावसायिक परिसर में इस तरह के ऑडिट करने की अनुमति देगा और ऑडिट के संचालन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

27.2 **लेखा परीक्षा/निरीक्षण का दायरा**

उधारकर्ता स्वीकार करता है कि ऋणदाता किसी भी विसंगतियों, गैर-अनुपालन, ऋण/सीमा निधि का दुरुपयोग, धोखाधड़ी, या किसी भी अन्य गतिविधि को सत्यापित करने के लिए ऑडिट/निरीक्षण कर सकता है जो ऋणदाता के हितों को खतरे में डाल सकता है। इस तरह की जांच के दायरे में उधारकर्ता की वित्तीय प्रथाएं, परिचालन प्रक्रियाएं, या ऋणदाता द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले कोई अन्य क्षेत्र शामिल हो सकते हैं।

27.3 **तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षक**

उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋणदाता किसी भी ऑडिट या जांच के लिए स्वतंत्र तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षकों या विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है। उधारकर्ता ऐसे ऑडिट की लागत वहन करेगा यदि यह निर्धारित किया जाता है कि उधारकर्ता ने समझौते की शर्तों का भौतिक रूप से उल्लंघन किया है, धोखाधड़ी गतिविधियों में लगे हुए हैं, या अपनी वित्तीय स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है।

27.4 **लाल झंडा खाता**

उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋणदाता, अपने विवेक पर, उधारकर्ता को आगे का सहारा लिए बिना संदेह या किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि के आधार पर खाते को रेड-फ्लैग खाते के रूप में वर्गीकृत कर सकता है और व्यापक ऑडिट के संचालन के साथ आगे बढ़ सकता है। उधारकर्ता ऋणदाता की जांच प्रक्रियाओं में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए बाध्य है। लाल झंडा हटाया जा सकता है, अगर जांच धोखाधड़ी गतिविधि की पुष्टि नहीं करती है, और खाता सामान्य निगरानी फिर से शुरू करेगा।

27.5 **लेखा परीक्षा/जांच के बाद दायित्व**

इस घटना में कि एक ऑडिट या जांच से इस समझौते की शर्तों के साथ किसी भी अनियमितता, गलत बयानी या गैर-अनुपालन का पता चलता है, उधारकर्ता सहमत होता है: ए। ऐसी अनियमितताओं या गलत बयानी को तुरंत सुधारें। जन्म। परिणामस्वरूप हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ऋणदाता को प्रतिपूर्ति करें। ग. इस तरह के ऑडिट या जांच के संबंध में ऋणदाता द्वारा किए गए किसी भी लागत या शुल्क का भुगतान करें।

27.6 **गैर-अनुपालन के परिणाम**

ऋणदाता की ऑडिट या जांच प्रक्रिया का पालन करने में उधारकर्ता द्वारा विफलता, या अनुरोधित दस्तावेज़ या पहुंच प्रदान करने से इनकार करना, इस अनुबंध के तहत डिफ़ॉल्ट की घटना मानी जा सकती है। इस तरह की चूक पर, ऋणदाता उचित कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें समझौते को समाप्त करना, ऋण/सीमा के तत्काल पुनर्भुगतान की मांग करना, या कानूनी उपचार करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

28. शिकायत निवारण तंत्र

(खंड 28 के लिए 'ऋणदाता' और 'बैंक' शब्द का परस्पर उपयोग किया जाना चाहिए)

उधारकर्ता को कोई शिकायत या शिकायत है, तो वह बैंक के ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से संपर्क कर सकता है, या अपनी निकटतम बैंक शाखा में जा सकता है। वे अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए शाखा में उपलब्ध शिकायत बॉक्स या शिकायत प्रपत्र का भी उपयोग कर सकते हैं।

यदि प्रारंभिक समाधान उधारकर्ता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, तो पालन किया जाने वाला वृद्धि मैट्रिक्स है:

लेवल 1: बैंक ब्रांच मैनेजर/फोन बैंकिंग नंबर/कस्टमर केयर सेंटर:

उधारकर्ता अपने निकटतम शाखा कार्यालय में बैंक के शाखा प्रबंधक से संपर्क कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, उधारकर्ता टोल फ्री नंबर 1800-202-5333 पर बैंक के फोन बैंकिंग अधिकारी से भी संपर्क कर सकता है या customercare@shivalik.bank.in

स्तर 2: नोडल अधिकारी

नोडल अधिकारी का नाम: रूपेश त्यागी
शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, दूसरी और तीसरी मंजिल, ऐड इंडिया टॉवर, प्लॉट नंबर 6ए, सेक्टर 125, नोएडा - 201303, संपर्क विवरण: 0120–4060011
ईमेल आईडी: grievance@shivalik.bank.in

स्तर 3: प्रधान नोडल अधिकारी

सिद्धांत का नाम नोडल अधिकारी: जयत्री सिंह
शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, दूसरी और तीसरी मंजिल, ऐड इंडिया टॉवर, प्लॉट नंबर 6 ए, सेक्टर 125, नोएडा - 201303, संपर्क विवरण: 0120-4060012
ईमेल आईडी: pno@shivalik.bank.in.

शिकायत निवारण वृद्धि मैट्रिक्स के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए कृपया यहां जाएं: https://shivalik.bank.in/grievance-redressal

प्रधान नोडल अधिकारी 7 कार्य दिवसों के भीतर शिकायतकर्ता की संतुष्टि के लिए मुद्दे को हल करने का प्रयास करेंगे। यदि शिकायत की जांच के लिए और समय की आवश्यकता होती है, तो प्रतिक्रिया देने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता के बारे में बताते हुए शिकायत को स्वीकार किया जाएगा।

एकीकृत लोकपाल के लिए वृद्धि: बैंक को रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के तहत कवर किया गया है। यदि उधारकर्ता बैंक द्वारा प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है या यदि शिकायत प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर उनकी शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है, तो वे https://cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके एकीकृत लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।

चंडीगढ़ में स्थापित 'केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र' (सीआरपीसी) को भी शिकायतें प्रस्तुत की जा सकती हैं। सीआरपीसी का पता: केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160017 ईमेल - crpc@rbi.org.in। टोल फ्री नंबर – 14448 के साथ आरबीआई संपर्क केंद्र

29. (A) लिंक्ड सेविंग अकाउंट को बंद करना

"उधारकर्ता इसके द्वारा बैंक को, लागू कानून और नियामक दिशानिर्देशों के अधीन, ऋण के संबंध में खोले गए या नामित बचत खाते को पूर्ण पुनर्भुगतान और ऋण खाते के बंद होने पर बंद करने के लिए अधिकृत करता है, जब तक कि उधारकर्ता इस तरह के बचत खाते को जारी रखने के लिए बैंक को लिखित अनुरोध प्रस्तुत नहीं करता है।

इस तरह के लिखित अनुरोध के अभाव में, बैंक ग्रहणाधिकार के अपने अधिकार का प्रयोग करने और ऋण और/या किसी अन्य सुविधाओं या दायित्वों के तहत उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय किसी भी बकाया राशि के समायोजन के लिए लिंक्ड बचत खाते के क्रेडिट में पड़ी किसी भी शेष राशि को उचित बनाने का हकदार होगा। चाहे मौजूदा, भविष्य, वास्तविक या आकस्मिक।

उधारकर्ता हस्ताक्षर _____ सह-उधारकर्ता (ओं) हस्ताक्षर _____

इस तरह के विनियोग के बाद शेष कोई भी अधिशेष राशि उधारकर्ता को वापस कर दी जाएगी, और उसके बाद लिंक्ड बचत खाते को बैंक की नीतियों के अनुसार बंद कर दिया जाएगा, बिना किसी और कार्य, विलेख या उधारकर्ता से पुष्टि की आवश्यकता के।

(B) लिंक्ड सेविंग अकाउंट को जारी रखने का विकल्प

"जहां उधारकर्ता ऋण खाते को बंद करने के बाद लिंक्ड बचत खाते को जारी रखना चाहता है, उधारकर्ता ऋण खाते को बंद करने से पहले या उसके समय बैंक को एक स्पष्ट और स्पष्ट लिखित अनुरोध प्रदान करेगा।

लिंक्ड सेविंग अकाउंट को जारी रखना बैंक की मौजूदा नीतियों के अधीन होगा, जो जमा खातों पर लागू होती हैं, किसी भी आवश्यक दस्तावेज को पूरा करते हैं, और लागू कानूनों, नियमों और नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन होंगे, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश भी शामिल हैं। बैंक ऐसी नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुसार खाते को जारी रखने से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

घोषणा-सह-प्राधिकरण

"मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी उधारकर्ता, एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं और घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे ऋण के संबंध में बैंक के साथ बनाए गए बचत खाते को ऋण के प्रयोजनों के लिए एक लिंक किए गए खाते के रूप में नामित किया गया है।

मैं/हम एतद्द्वारा बैंक को ऋण समझौते और लागू कानून की शर्तों के अनुसार, ऋण और/या मेरे/या बैंक को देय किसी भी अन्य देय राशि के पुनर्भुगतान के लिए उक्त बचत खाते के क्रेडिट में पड़े किसी भी शेष राशि को उचित और समायोजित करने के लिए अधिकृत करते हैं।

मैं/हम बैंक को ऋण खाते के बंद होने पर उक्त बचत खाते को बंद करने के लिए अधिकृत करते हैं, जब तक कि मैं/हम खाते को जारी रखने के लिए लिखित अनुरोध प्रस्तुत नहीं करते हैं, जो बैंक की प्रचलित नीतियों और नियामक दिशानिर्देशों के अधीन है।

यह प्राधिकरण अपरिवर्तनीय होगा और मुझे/हमारे लिए बाध्यकारी होगा।

उधारकर्ता ने इस समझौते को पढ़ और समझ लिया है और इस घटना में कि उधारकर्ता निरक्षर है और/या अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ सकता है, इस समझौते के नियमों और शर्तों को उधारकर्ता को स्थानीय भाषा में विस्तार से पढ़ा गया है, अनुवाद किया गया है और समझाया गया है।

मैंने/हमने उपरोक्त खण्डों तथा महत्वपूर्ण कर्ज समझौते को पढ़ लिया है और समझ लिया है। मैं/हम इस महत्वपूर्ण विवरण सहित सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्य होंगे। पूर्वोक्त में दिए गए करारनमें और अन्य दस्तावेजों को मेरी/हमारी समझ में आने वाली भाषा में मुझे/हमें बताया गया है और मैंने/हमने विभिन्न खण्डों का पूरा तात्पर्य समझ लिया है। ऋण प्राप्तकर्ताओं ने इस समझौते की विषयबस्तु सत्यापित करने और समझने के बाद हस्ताक्षर किये हैं

उधारकर्ता हस्ताक्षर _____ सह-उधारकर्ता (ओं) हस्ताक्षर _____

समान मासिक किश्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋणों पर फ्लोटिंग ब्याज दर का रीसेट – सावधि ऋण

यदि बाहरी बेंचमार्क दर (रेपो दर) में परिवर्तन होता है, तो ऋण खाते के लिए ब्याज दर को संशोधित किया जाएगा, और इसलिए ईएमआई और/या अवधि या दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। बाहरी बेंचमार्क दर में परिवर्तन के कारण ईएमआई/अवधि या दोनों में किसी भी परिवर्तन के बारे में ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा। दर रीसेट के निष्पादन से पहले उधारकर्ता के लिए नीचे दिए गए विकल्प उपलब्ध हैं:

1. ऋण की अवधि में बदलाव
2. ऋण की ईएमआई में बदलाव
3. ऋण की अवधि और ईएमआई में बदलाव
4. कन्वर्जन विकल्प का लाभ उठाकर मौजूदा फ्लोटिंग ब्याज दर से एक निश्चित ब्याज दर पर स्विच करें। इसके लिए लागू संशोधन शुल्क लिया जाएगा।

उधारकर्ता किसी भी बैंक ऋण सेवा शाखा में जाकर रीसेट तिथि से पहले उपरोक्त विकल्पों में से किसी का विकल्प चुन सकते हैं। अनुरोध को उधारकर्ता द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर या सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार संसाधित किया जाएगा। यदि रीसेट तिथि से पहले कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो दर रीसेट नीचे दिए गए तरीके से निष्पादित किया जाएगा और रीसेट के बाद सूचित किया जाएगा:

1. कार्यकाल में वृद्धि, फिर
2. अवधि की सीमा समाप्त होने पर ईएमआई में वृद्धि।
3. यदि अवधि और ऋण दायित्व बैंक की सीमा से अधिक हो जाता है, तो उधारकर्ता से एक नए क्रेडिट मूल्यांकन और ऋण दस्तावेज की आवश्यकता हो सकती है।

उपरोक्त के अलावा,
उधारकर्ता ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय ऋण के आंशिक पूर्व भुगतान या पूर्ण पूर्व भुगतान का विकल्प चुन सकता है। ऋण पूर्व-समापन शुल्क/पूर्व-भुगतान शुल्क की लेवी मौजूदा दिशानिर्देशों के अधीन होगी।

IRAC मानदंड: SMA, NPA वर्गीकरण और NPA उन्नयन

यह पुष्टि करने के लिए है कि मैंने/हमने बकाया, नियत तारीखों और हमारे उधारकर्ता खातों के एसएमए/एनपीए के रूप में वर्गीकरण से संबंधित अवधारणाओं को समझ लिया है, जैसा कि मुझे/हमें स्वीकृत क्रेडिट सुविधा के संदर्भ में नीचे उल्लिखित खातों के संचालन के तहत किया गया है।

परिभाषाएँ:

बकाया: ऋण खाते पर लगाए गए मूलधन/ब्याज/कोई भी प्रभार जो ऋण सुविधा की मंजूरी की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर देय हैं।

अतिदेय: ऋण खाते पर लगाए गए मूलधन/ब्याज/कोई भी प्रभार जो देय हैं लेकिन ऋण सुविधा की मंजूरी की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, किसी भी ऋण सुविधा के तहत बैंक को देय कोई भी राशि 'अतिदेय' है यदि इसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित नियत तिथि पर नहीं किया जाता है।

उधारकर्ता खाते में भुगतान के विनियोग में 'फर्स्ट इन फर्स्ट आउट' (एफआईएफओ) के सिद्धांत की प्रासंगिकता: एफआईएफओ का सिद्धांत यानी 'फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट' लेखांकन पद्धति एसएमए/एनपीए स्थिति का निर्धारण करने के लिए अतिदेय दिनों की संख्या पर पहुंचने के लिए प्रासंगिक है। फीफो सिद्धांत मानता है कि ऋण खाते में सबसे पुराने बकाया को पहले चुकाने की आवश्यकता है। इस प्रकार फीफो पद्धति के लिए आवश्यक है कि जो पहले देय है उसका भुगतान उधारकर्ता द्वारा पहले किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि 01.02.2021 तक किसी ऋण खाते में कोई अतिदेय नहीं है और मूल किस्त/ब्याज/शुल्क के भुगतान के लिए X रुपये की राशि देय है, तो ऋण खाते में 01 02.2021 को या उसके बाद जमा किए जा रहे किसी भी भुगतान का उपयोग 01.02.2021 को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।
यह मानते हुए कि फरवरी के महीने के दौरान कुछ भी भुगतान नहीं किया गया है/या बकाया राशि का आंशिक भुगतान (वर्ष Y) है, 01.03.2021 को अतिदेय राशि 1.03.2021 रुपये होगी। एक्स-वाई। इसके अतिरिक्त, 01.03.2021 को रु.जेड की राशि देय हो जाती है, अब 01.03.2021 को या उसके बाद खाते में किसी भी भुगतान/आंशिक भुगतान का उपयोग पहले 01.02.2021 के आंशिक देय भुगतान के लिए किया जाएगा (X - रु Y) यदि X - रु Y से अधिक वसूली होती है, तो 01.02.2021 की बकाया राशि की वसूली के बाद, शेष राशि को 01.03.2021 की देय राशि के रूप में माना जाएगा।

सबसे पुराने बकाया की आयु: सबसे पुराने बकाया की आयु की गणना उस तारीख से दिनों में की जाती है जिस पर सबसे पुराना भुगतान देय होता है और उपरोक्त उदाहरण में भुगतान नहीं किया जाता है, यदि 1 फरवरी 2021 से संबंधित बकाया राशि 01.03.2021 तक अवैतनिक रहती है, तो सबसे पुराने बकाया की आयु 02.03.2021 को 29 दिन मानी जाती है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए): गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) एक ऋण या अग्रिम है जहां सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण: ऋण देने वाली संस्थाएं ऋण खातों में प्रारंभिक दबाव को तुरंत पहचानेंगे, उन्हें विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करके। एसएमए/एनपीए श्रेणी के वर्गीकरण का आधार इस प्रकार होगा:

एसएमए उप-श्रेणियाँ	सावधि ऋण के वर्गीकरण के लिए आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूरी तरह या आंशिक रूप से अतिदेय
एसएमए-0	30 दिनों तक
एसएमए-1	30 दिन से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक
एनपीए	90 दिनों से अधिक

उधारकर्ता हस्ताक्षर _____

सह-उधारकर्ता (ओं) हस्ताक्षर _____

देरी/बकाया राशि का भुगतान न करने और बाद में दिन के अंत की प्रक्रिया में मानक श्रेणी में उन्नयन के आधार पर एसएमए श्रेणी में एक खाते का एनपीए श्रेणी में परिवर्तन:

भुगतान की देय तिथि	भुगतान तिथि	भुगतान कवर	सबसे पुराना बकाया (दिन)	एसएमए/एनपीए श्रेणी	एसएमए के बाद से तिथि/एसएमए कक्षा की तारीख	एनपीए स्थिति	एनपीए तिथि
01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022 तक की पूरी बकाया राशि	0	NIL	NA	NA	NA
01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022 को आंशिक रूप से बकाया राशि का भुगतान किया गया	1	एसएमए-0	01.02.2022	NA	NA
01.02.2022	02.02.2022	01.02.2022 को आंशिक रूप से बकाया राशि का भुगतान किया गया	2	एसएमए-0	01.02.2022	NA	NA
01.03.2022		01.02.2022 की बकाया राशि का पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया, 01.03.2022 भी ईओडी 01.03.2022 पर देय है	29	एसएमए-0	01.02.2022	NA	NA
		01.02.2022 की बकाया राशि का पूरी तरह से भुगतान, 01.03.2022 के लिए देय ईओडी 01.03.2022 पर भुगतान नहीं किया गया	1	एसएमए-0	01.03.2022	NA	NA
		ईओडी 03.03.2022 पर 01.02.2022 और 01.03.2022 के पूर्ण बकाया का भुगतान नहीं	31	एसएमए-1	01.02.2022 / 03.03.2022	NA	NA
		01.02.2022 की बकाया राशि का पूरी तरह से भुगतान, 01.03.2022 के लिए देय ईओडी 1.03.2022 पर पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया	1	एसएमए-0	01.03.2022	NA	NA
01.04.2022		01.02.2022, 01.03.2022 की बकाया राशि का कोई भुगतान नहीं और ईओडी 01.04.2022 पर 01.04.2022 को देय राशि	60	एसएमए-1	01.02.2022 / 03.03.2022	NA	NA
		ईओडी 02.04.2022 पर 01.04.2022 तक 01.02.2022 तक बकाया राशि का कोई भुगतान नहीं	61	एसएमए-2	01.02.2022 / 02.04.2022	NA	NA
01.05.2022		ईओडी 01.05.2022 पर 01.05.2022 तक 01.02.2022 का बकाया भुगतान नहीं	90	एसएमए-2	01.02.2022 / 02.04.2022	NA	NA
		ईओडी 02.05.2022 पर 01.05.2022 तक 01.02.2022 का बकाया भुगतान नहीं	91	एनपीए	NA	एनपीए	02.05.2022
01.06.2022	01.06.2022	ईओडी 01.06.2022 पर 01.02.2022 की पूरी तरह से भुगतान किया गया बकाया	93	एनपीए	NA	एनपीए	02.05.2022

01.07.2022	01.07.2022	ईओडी 01.07.2022 पर 01.03.2022 और 01.04.2022 के पूरे बकाया का भुगतान किया गया	62	एनपीए	NA	एनपीए	02.05.2022
01.08.2022	01.08.2022	ईओडी 01.08.2022 पर 01.05.2022 और 01.06.2022 के पूरे बकाया का भुगतान किया गया	32	एनपीए	NA	एनपीए	02.05.2022
01.09.2022	01.09.2022	ईओडी 01.09.2022 पर 01.07.2022 और 01.08.2022 के पूरे बकाया का भुगतान किया गया	1	एनपीए	NA	एनपीए	02.05.2022
01.10.2022	01.10.2022	01.09.2022 और 01.10.2022 के पूरे बकाया का भुगतान किया गया	0	मानक खाता	NA	एनए	01.10.2022 से एसटीडी

मैं/हम यह भी समझते हैं कि उपर्युक्त कुछ उदाहरण उदाहरणात्मक हैं और सामान्य परिदृश्यों को कवर करने वाले प्रकृति में संपूर्ण नहीं हैं, और यह कि, ऊपर उल्लिखित विषयों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए आईआरएसीपी मानदंड और स्पष्टीकरण मान्य होंगे।

उधारकर्ता हस्ताक्षर _____ सह-उधारकर्ता (ओं) हस्ताक्षर _____

अनुसूची।

ऋणदाता विवरण		
1.	शाखा का नाम	
2.	क्षेत्राधिकार (संवितरण का स्थान)	

उधारकर्ता विवरण						
1.	[ ] **कंपनी**	[ ] **साझेदारी**	[ ] **लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप**	[ ]**सोसायटी**	[ ] **ट्रस्ट**	[ ] **एकल स्वामित्व**

a.	नाम	
b.	पंजीकृत कार्यालय का पता	
c.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (यदि कंपनी)	
d.	व्यवसाय के स्थान/शाखा कार्यालय/संचार कार्यालय का पता	
e.	सभी के नाम, [ ] **निदेशक** [ ] **भागीदार** [ ] **सदस्य** [ ] **एकमात्र मालिक**	
f.	वह क़ानून जिसके अंतर्गत उधारकर्ता को निगमित किया गया था	[ ] **कंपनी** - कंपनी अधिनियम, 1956 / कंपनी अधिनियम, 2013 [ ] **साझेदारी** - भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 [ ] **लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप** - लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008 [ ] **सोसायटी** - सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 / [ ] **ट्रस्ट** - भारतीय न्यास अधिनियम, 1882
2.	यदि उधारकर्ता एक **व्यक्ति है**	
a.i	नाम	
a.ii	का बेटा/की बेटी/पत्नी	
a.iii	व्यवसाय के स्थान/शाखा कार्यालय/संचार कार्यालय का पता	
a.iv	निवास का पता	
b.i	नाम	
b.II	का बेटा/की बेटी/पत्नी	

b.III	व्यवसाय के स्थान/शाखा कार्यालय/संचार कार्यालय का पता	
b.IV	निवास का पता	

अनुसूची।

सह-उधारकर्ता का विवरण

1.	**[ ] निदेशक**	**[ ] भागीदार**	**[ ] सदस्य**	**[ ] एकमात्र मालिक**	**[ ] व्यक्ति**
a. i	नाम				
a.ii	का बेटा/की बेटी/पत्नी				
a.iii	निवास का पता				
b. i	नाम				
b. ii	का बेटा/की बेटी/पत्नी				
b.III	निवास का पता				
c. i	नाम				
c. ii	का बेटा/की बेटी/पत्नी				
c. iii	निवास का पता				
d. i	नाम				
D.ii	का बेटा/की बेटी/पत्नी				
D. iii	निवास का पता				
e. i	नाम				
e.ii	का पुत्र / की पुत्री / की पत्नी				
e.iii	निवास का पता				
f.i	नाम				

f.ii	का पुत्र / की पुत्री / की पत्नी				
f.iii	निवास का पता				
g.i	नाम				
g.ii	का पुत्र / की पुत्री / की पत्नी				
g.iii	निवास का पता				
2.	[ ] **कंपनी**	[ ] **साझेदारी**	[ ] **लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप**	[ ] **सोसायटी**	[ ] **ट्रस्ट**
a.	नाम				
b.	पंजीकृत कार्यालय का पता				
c.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (यदि कंपनी)				
d.	व्यवसाय के स्थान/शाखा कार्यालय/संचार कार्यालय का पता				
e.	सभी के नाम, [ ] **निदेशक** [ ] **भागीदार** [ ] **सदस्य**				
f.	वह क़ानून जिसके अंतर्गत उधारकर्ता को निगमित किया गया था		[ ] **कंपनी** - कंपनी अधिनियम, 1956 / कंपनी अधिनियम, 2013 [ ] **साझेदारी** - भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 [ ] **लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप** - लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008 [ ] **सोसायटी** - सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 / [ ] **ट्रस्ट** - भारतीय न्यास अधिनियम, 1882		

सुरक्षा का विवरण		
1.	संपत्ति का विवरण	

2.	अतिरिक्त सुरक्षा/संपार्श्विक	

अनुसूची।
मुख्य तथ्य कथन
भाग 1 (ब्याज दर और शुल्क/शुल्क)

1	**ऋण प्रस्ताव/खाता सं.**		**ऋण का प्रकार**	☐ सिंपतत्त के बिले ऋण ☐ आवास ऋण
2	**स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)**			
3	**संवितरण अनुसूची** (१) चरणों में संवितरण या 100% अग्रिम में। (२) यदि यह चरणवार है, तो प्रासंगिक विवरण वाले ऋण समझौते के खंड का उल्लेख करें			
4	**ऋण अवधि (महीने)**			
5	**स्थापना विवरण**			

किश्तों का प्रकार	ईपीआई की संख्या	ईपीआई (₹)	स्वीकृति के पश्चात पुनर्भुगतान का प्रारंभ

6	**ब्याज दर (%) और प्रकार (निश्चित या फ्लोटिंग या हाइब्रिड)**	
7	**ब्याज की फ्लोटिंग दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी**	

संदर्भ बेंचमार्क	बेंचमार्क दर (%) (B)	स्प्रेड (%) (एस)	अंतिम दर (%) R = (B) + (S)	आवधिकता रीसेट करें (महीने)		संदर्भ बेंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव ('R' में 25 bps परिवर्तन के लिए, में परिवर्तन)	
				B	S	ईपीआई (₹)	नहीं। ईपीआई की संख्या
आरबीआई पॉलिसी रेपो रेट				तीन महीने में कम से कम एक बार	संवितरण/अंतिम रीसेट से 36 महीने से पहले नहीं	+0.25%- -0.25%-	+0.25%- -0.25%-

8	**शुल्क/शुल्क**				
		आरई (A) के लिए देय		आरई (बी) के माध्यम से किसी तीसरे पक्ष को देय	
		एक बार/आवर्ती	राशि (में ₹) या प्रतिशत (%) जैसा लागू हो	एक बार/आवर्ती	राशि (₹ में) या प्रतिशत (%) जैसा लागू हो
(i)	प्रोसेसिंग फीस	एक बार		N/A	N/A
(ii)	बीमा शुल्क	N/A	N/A	एक बार	
(iii)	कानूनी और मूल्यांकन शुल्क	N/A	N/A	एक बार	
(iv)	संपत्ति बीमा शुल्क	N/A	N/A	एक बार	
(v)	दस्तावेज़ पुनरीक्षण शुल्क	N/A	N/A	एक बार	
(vi)	दस्तावेज़ीकरण शुल्क	एक बार		एन / ए	N/A
(vii)	कोई अन्य शुल्क (कृपया निर्दिष्ट करें)				
9	**वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%)**				
10	**आकस्मिक शुल्क का विवरण (₹ या % में, जैसा लागू हो)**				
(i)	दंड शुल्क, यदि कोई हो, देरी से भुगतान के मामले में – अतिदेय शुल्क				अतिदेय राशि पर 2% प्रति माह
(ii)	अन्य दंड शुल्क – ईएमआई बाउंस चार्ज				₹600 + जीएसटी

उधारकर्ता हस्ताक्षर _____ सह-उधारकर्ता (ओं) हस्ताक्षर _____

(iii)	ऋण पूर्व-समापन शुल्क*, यदि लागू हो	i. 3 वर्ष तक - बकाया राशि का 5% + लागू कर 3 वर्षों के बाद - बकाया राशि का 4% + लागू टैक्स
	भाग - प्रीपेमेंट शुल्क*	अग्रिम भुगतान राशि का 2% + जीएसटी
	*सह-बाध्यकारी (ओं) के साथ या उसके बिना, व्यक्तियों को व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए सभी फ्लोटिंग रेट ऋणों के लिए, एक बैंक फौजदारी / पूर्व-भुगतान / अंश-पूर्व भुगतान शुल्क नहीं लगाएगा *व्यक्तियों और एमएसई को व्यावसायिक उद्देश्य के लिए दिए गए सभी फ्लोटिंग रेट ऋणों के लिए, सह-बाध्यकारी (ओं) के साथ या बिना, एक बैंक कोई फौजदारी / पूर्व-भुगतान / आंशिक पूर्व भुगतान शुल्क नहीं लगाएगा	
(iv)	ऋणों को फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट में बदलने और इसके विपरीत ऋणों को बदलने के लिए शुल्क	बकाया राशि का 0.25% अधिकतम रु. 5000 + जीएसटी के अधीन
(v)	कोई अन्य शुल्क (कृपया निर्दिष्ट करें)	
	स्टाम्प पेपर शुल्क	₹
	डुप्लिकेट स्टेटमेंट शुल्क	₹100/- + GST
	बैंक के नोटिस शुल्क	₹100/- + GST प्रति नोटिस
	कानूनी नोटिस शुल्क	वर्तमान के लिए ऐस
	वसूली शुल्क	वर्तमान के लिए ऐस
	संशोधन शुल्क	बकाया राशि का 0.25% अधिकतम रु. 5000/- + जीएसटी के अधीन
	रद्दीकरण शुल्क	₹ 5,000 + संवितरण की तारीख से रद्दीकरण अनुरोध प्राप्त होने तक ब्याज
	सेर्साई	₹

भाग 2 (अन्य गुणात्मक जानकारी)

1	उपवाक्य का ऋण क़रारनामा संबंधित सेवा मेरे वसूली एजेंटों की नियुक्ति	वसूली एजेंटों की नियुक्ति के लिए ऋण समझौते के खंड 25 का संदर्भ लें
2	उपवाक्य का ऋण क़रारनामा उन विवरण शिकायत निवारण तंत्र	शिकायत के लिए ऋण समझौते के खंड 28 का संदर्भ लें निवारण तंत्र।
3	फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी नोडल शिकायत निवारण अधिकारी की	स्तर 1- 1800-202-5333, customercare@shivalik.bank.in स्तर 2 - 0120-4060011, grievance@shivalik.bank.in स्तर 3 - 0120-4060012, pno@shivalik.bank.in
4	क्या ऋण वर्तमान में या भविष्य में अन्य विनियमित संस्थाओं (REs) को हस्तांतरण या प्रतिभूतिकरण के अधीन है/हो सकता है (हाँ/नहीं)	हाँ
5	सहयोगात्मक ऋण व्यवस्था (जैसे, सह-ऋण/आउटसोर्सिंग) के तहत ऋण देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:	

मूल आरई का नाम, साथ में इसके फंडिंग अनुपात के साथ	भागीदार आरई का नाम और उसका नाम फंडिंग का अनुपात	मिश्रित ब्याज दर
N/A	N/A	N/A

6 डिजिटल ऋणों के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट खुलासे प्रस्तुत किए जा सकते हैं:	
(i) संशोधित अनुमान के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा	N/A
(ii) रिकवरी एजेंट के रूप में कार्य करने वाले एलएसपी का विवरण और उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत	N/A

उधारकर्ता हस्ताक्षर _____ सह-उधारकर्ता (ओं) हस्ताक्षर _____

अनुसूची I - ऋण विवरण						
1.	ऋण खाता संख्या					
2.	स्वीकृति पत्र दिनांक और संदर्भ संख्या।					
3.	सुविधा की प्रकृति	सावधि ऋण				
4.	उत्पाद का प्रकार	[ ] संपत्ति पर ऋण		[ ] आवास ऋण		
5.	किश्तों की संख्या	[ ] एकल		[ ] एकाधिक		
6.	किश्त 1 राशि		किश्त 2 राशि		किश्त 3 राशि	
7.	ब्याज (इसकी गणना मासिक आराम के आधार पर की जाएगी। यह मासिक आधार पर देय होगा)					
8.	समझौते का स्थान और तारीख					
पुनर्भुगतान विवरण						
1.	ईएमआई की संख्या					
2.	पहली मासिक किस्त की देय तिथि					
3.	परिशोधन अनुसूची/मूलधन और ब्याज का विवरण	स्वीकृति तिथि के आधार पर प्रदान की गई पुनर्भुगतान अनुसूची एक सांकेतिक पुनर्भुगतान अनुसूची है। सुविधा वितरित होने के बाद लागू पुनर्भुगतान अनुसूची प्रदान की जाती है। संवितरण तिथियों/राशियों में अंतर के मामले में, पुनर्भुगतान अनुसूची परिवर्तन के अधीन है।				
4.	पुनर्भुगतान का तरीका	[ ] NACH	[ ] SI	[ ] अन्य		
5.	एक महीने में संवितरण तिथि सीमा	1 से 4	5 से 15 वीं	16 से 31 वें		
	टूटी हुई अवधि का ब्याज	उसी महीने की 5 तारीख	शून्य	अगले महीने की 5 तारीख		
	पहली ईएमआई दो तारीखें	अगले महीने की 5 तारीख	अगले महीने की 5 तारीख	अगले महीने की 5 तारीख		

उधारकर्ता हस्ताक्षर _____ सह-उधारकर्ता (ओं) हस्ताक्षर _____

अनुसूची I - ओवरड्राफ्ट सीमा, तथ्य विवरण और विवरण					
1.	खाता संख्या				
2.	स्वीकृति पत्र दिनांक और संदर्भ संख्या।				
3.	समझौते का स्थान और तिथि				
4.	सुविधा की प्रकृति	ओवरड्राफ्ट सीमा			
5.	ऋण का प्रकार	संपत्ति पर ऋण			
6.	स्वीकृति राशि				
7.	अधिकतम ओवरड्राफ्ट सीमा				
8.	ड्राइंग पावर				
9.	ब्याज प्रकार (फ्लोटिंग या फिक्स्ड)				
10.	ब्याज दर (फ्लोटिंग के मामले में)	_____% प्रति वर्ष (बेंचमार्क दर -_____% + स्प्रेड -_____%			
11.	ब्याज दर (फिक्स्ड के मामले में)	_____% प्रति वर्ष			
12.	आवधिकता रीसेट करें	बेंचमार्क दर - तीन महीने में कम से कम एक बार स्प्रेड - संवितरण/अंतिम रीसेट से 36 महीने से पहले नहीं			
13.	शुल्क/शुल्क				
(i)	प्रोसेसिंग फीस		(ii)	बीमा शुल्क	
(iii)	कानूनी और मूल्यांकन शुल्क		(iv)	संपत्ति बीमा शुल्क	
(v)	दस्तावेज़ पुनरीक्षण शुल्क		(vi)	दस्तावेज़ीकरण शुल्क	
(vii)	CERSAI शुल्क		(viii)	स्टाम्प पेपर शुल्क	
(ix)	कोई अन्य शुल्क (कृपया निर्दिष्ट करें)				
(x)	नवीनीकरण-प्रसंस्करण शुल्क	सीमा राशि का 0.40% + लागू कर	(xi)	समीक्षा-प्रसंस्करण शुल्क	सीमा राशि का 0.20% + लागू कर
(xii)	अतिदेय शुल्क	2% प्रति माह + लागू कर (अतिदेय शुल्क केवल अतिदेय राशि पर लागू होते हैं)	(xiii)	प्रतिबद्धता शुल्क	आवश्यक न्यूनतम प्रतिबद्धता से कम अप्रयुक्त राशि पर 1% प्रति वर्ष का शुल्क (वर्तमान में 60%)
(xiv)	समय सीमा समाप्त शुल्क	₹ 1,000 + लागू टैक्स	(xv)	प्री क्लोजर/फोरक्लोज़र शुल्क	i. 3 वर्ष तक- बकाया राशि का 5% + लागू कर iii.3 साल के बाद- बकाया का 4% + लागू कर।
(xvi)	वित्तीय अनुबंधों का अनुपालन न करना (यदि कोई हो)	₹ 1,000 + लागू टैक्स	(xvii)	बीमा शुल्क में देरी	₹ 500 + लागू टैक्स
(xviii)	बैंक का नोटिस शुल्क	₹ 100 प्रति नोटिस + लागू टैक्स	(xix)	डुप्लिकेट स्टेटमेंट चार्ज	₹ 100 + लागू टैक्स
(xx)	कानूनी खोज रिपोर्ट शुल्क	₹ 100 + लागू टैक्स	(xxi)	संशोधन शुल्क	बकाया राशि का 0.25% अधिकतम ₹ 5,000 + लागू करों के अधीन
(xxii)	रद्दीकरण शुल्क	₹ 5,000 + ब्याज संवितरण तिथि से रद्द करने के अनुरोध रसीद तक			

उधारकर्ता हस्ताक्षर _____ सह-उधारकर्ता (ओं) हस्ताक्षर _____

गवाह में जिसके बारे में पार्टियों ने इस समझौते को उस दिन और वर्ष पर निष्पादित किया है जो पहले यहां ऊपर लिखा गया है,

A) अतिथि _____ की मुहर यहां निदेशक मंडल द्वारा _____ को आयोजित अपनी बैठक में पारित एक प्रस्ताव के अनुसार चिपका दी गई है, जिसमें कंपनी के श्री/श्रीमती _____ और श्री/Mrs._____ निदेशक/जिनकर इन उपहारों पर हस्ताक्षर किए हैं/उनके टोकन में हस्ताक्षर किए हैं और श्री/Mrs._____ सचिव/अधिकृत व्यक्ति जिन्होंने इन उपहारों पर हस्ताक्षर किए हैं/प्रतिहस्ताक्षर किए हैं, टोकन में इन उपहारों पर हस्ताक्षर किए हैं/प्रतिहस्ताक्षर किए हैं। इसले।	
B) साझेदारी/ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नामित उधारकर्ता के भीतर के भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया 1. _____ 2. _____ 3. _____	
C) व्यक्तिगत/एकल स्वामित्व नामित उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया _____	
D) ट्रस्ट/सोसायटी नामित उधारकर्ता _____ के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया	

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित,

श्री/Mrs._____

अनुसूची 1

अंतिम उपयोग घोषणा

प्रति,

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड,

शाखा और शाखा का पता: _____

मैंने 1000 करोड़ रुपये के _____ के लिए आवेदन किया है। _____ दिनांक _____ के **आवेदन/करार के माध्यम से**।उक्त ऋण/सीमा का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा:

1. [ ] व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
   - a) ( ) कार्यशील पूंजी की आवश्यकता
   - b) ( ) व्यावसायिक उद्देश्य के लिए लिए गए बाजार ऋणों की चुकौती
   - c) ( ) वाणिज्यिक वाहन खरीद
   - d) ( ) वाणिज्यिक संपत्ति की खरीद/निर्माण
   - e) ( ) नया व्यवसाय स्थापित करना
   - f) ( ) संयंत्र और मशीनरी की खरीद

2. [ ] घरेलू खपत को पूरा करने के लिए:
   - g) ( ) बच्चों का विवाह
   - h) ( ) बच्चों की शिक्षा
   - i) ( ) उपभोग प्रयोजन के लिए लिए गए बाजार ऋणों की अदायगी :-
   - j) ( ) घर की मरम्मत और नवीनीकरण
   - k) ( ) स्वयं या परिवार की बीमारी पर किए गए खर्च
   - l) ( ) धार्मिक समारोह का प्रदर्शन
   - m) ( ) वाहन खरीद
   - n) ( ) संपत्ति खरीद
   - o) ( ) अन्य प्रयोजन कृपया specify_____

उधारकर्ता के हस्ताक्षर _____

घोषणा

मैं/हम वचन देते हैं, पुष्टि करते हैं और सहमत हैं कि सुविधा के तहत धन के उपयोग के उद्देश्य को सुविधा की अवधि के दौरान किसी भी तरह से नहीं बदला जाएगा या उद्देश्य में ऐसा परिवर्तन शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की पूर्व लिखित अनुमति के साथ ही होगा।
उधारकर्ता के हस्ताक्षर _____

बैंक की टिप्पणियाँ: (केवल कार्यालय उपयोग)

_____ के उद्देश्य के लिए _____ रुपये का एलएपी/एचएल स्वीकृत किया गया है जिसे प्राथमिकता क्षेत्र/गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाना है।

बैंक अधिकारी _____ के हस्ताक्षर

दिनांक: _____

संवितरण अनुरोध प्रपत्र *(केवल सावधि ऋण के लिए लागू)*

दिनांक:

प्रति, **स्थान:**

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड,

शाखा और शाखा का पता: _____

मैं/हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस ऋण राशि से अनुसूची। (मुख्य तथ्य विवरण) में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार दिनांक _____ अनुसूची। में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार मुझे/हमें स्वीकृत _____ रुपये की ऋण राशि निम्नलिखित तरीके से वितरित करें:

1. मेरे ऋण खाते को डेबिट करना। _____and _____रुपये की राशि को मेरे एसबी/सीए/ओडी खाता संख्या में स्थानांतरित कर रहा हूं। अपने बैंक के साथ _____।

(और/या)

2. मेरे ऋण खाते को डेबिट करना। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इन निधियों को एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से _____ और स्थानांतरित करना:

राशि (रु.)		
खाता धारक का नाम		
बैंक का नाम		
शाखा का नाम		
खाता संख्या।		
आईएफएस कोड		
खाता का प्रकार		
एमआईसीआर		

(और/या)

3. मेरे ऋण खाते को डेबिट करना। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार _____ और डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर जारी करें:

राशि (एस)		
के पक्ष में		
बैंक का नाम		
खाता संख्या।		
पर देय		

मैं/हम अनुसूची। और अंतिम उपयोग घोषणा में बताए गए उद्देश्य के लिए ऋण राशि का उपयोग करेंगे। मैं/हम सहमत हैं कि चेक या डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश जारी करके वितरित किए जाने पर पहले संवितरण की तारीख से ब्याज अर्जित होना शुरू हो जाएगा, इस तरह के चेक, डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश की प्राप्ति के साथ बैंक से संबंधित बिना।

उधारकर्ता का नाम: _____ **उधारकर्ता के हस्ताक्षर:** _____

सह-उधारकर्ता का नाम: _____ **सह-उधारकर्ता के हस्ताक्षर:** _____

चेक (पीडीसी) सबमिशन फॉर्म *(केवल सावधि ऋण के लिए लागू)*

प्रति,

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड,

शाखा और शाखा का पता: _____

मैं/हमने ऋण खाता के तहत मेरे/हमारे ऋण संवितरण के संबंध में "शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" के पक्ष में निम्नलिखित (खाता आदाता) पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी) प्रस्तुत किए हैं No._____ पीडीसी का विवरण नीचे दिया गया है:

S.No l	चेक नंबर		तारीख		चेकों की संख्या	बैंक और शाखा का नाम	ईएमआई / बीपीआई/एसपीडीसी	कुल धनराशि
	से	सेवा मेरे	से	सेवा मेरे				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								

	नाम	दस्तख़त देखिए।	तारीख
उधारकर्ता			
बैंक अधिकारी			

वचन पत्र की मांग करें

मांग करने पर, मैं/हम, _____, **शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** ("ऋणदाता") को भुगतान करने Rs_____ की राशि का आदेश देने का वादा करते हैं **(Rupees_____only)** इसके बाद की तारीख से ब्याज के साथ, यहां _____% प्रति वर्ष निश्चित/फ्लोटिंग या ऐसी अन्य दर जो ऋणदाता समय-समय पर तय कर सकता है, कंपाउंडिंग और प्राप्त मूल्य के लिए दैनिक/मासिक/त्रैमासिक आराम के साथ देय होगा; इसकी तारीख से भुगतान की तारीख तक।

उधारकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

सह-उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) का नाम और हस्ताक्षर

स्थान: _____

दिनांक: _____

1 रुपये का राजस्व स्टाम्प लगाया जाएगा।

उधारकर्ता को राजस्व स्टाम्प पर हस्ताक्षर करना होगा।

डीपी नोट डिलीवरी लेटर लें

प्रति,

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

_____

_____

("**ऋणदाता**")

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया 1000 रुपए _____के साथ दिए गए डिमांड प्रॉमिसरी नोट की सुपुर्दगी ले लें। __ (रुपये__(ख) ऋणदाता के पक्ष में मेरे द्वारा किए गए मामले में। मैं/हम एतद्द्वारा उपरोक्त डीपीएन की प्रस्तुति के अपने/अपने अधिकारों को भी माफ करते हैं। मैं/हम आपसे यह भी नोट करने का अनुरोध करते हैं कि मैं/हम परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 98 (ए) के संदर्भ में अनादर की सूचना को समाप्त करते हैं, और यह कि मुझे/हमारे द्वारा मांग पर भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में, ऋणदाता मुझे दायित्व से मुक्त किए बिना मुझे/हमें भुगतान के लिए समय देने के लिए स्वतंत्र है (लेकिन बाध्य नहीं है)।

डीपीएन आपके लिए एक सतत सुरक्षा के रूप में काम करेगा ताकि अंतिम शेष राशि या उक्त ऋण/सीमा के तहत अभी या उसके बाद अवैतनिक शेष सभी राशियों के पुनर्भुगतान के लिए लागू किया जा सके; और मैं/हम इस तथ्य के बावजूद डीपीएन पर उत्तरदायी रहेंगे कि समय-समय पर उक्त ऋण/सीमा के खाते में किए गए भुगतान से, उक्त ऋण/सीमा को समय-समय पर कम या समाप्त किया जा सकता है या यहां तक कि उक्त खाते की शेष राशि क्रेडिट पर भी हो सकती है।

उधारकर्ता हस्ताक्षर _____

गारंटी का विलेख

गारंटी का यह विलेख पर बनाया गया है_____इस पर _____का दिन _____, 20_____ **("गारंटी विलेख") द्वारा**

अनुसूची II **में निर्दिष्ट व्यक्ति (व्यक्तियों)** (इसके बाद "गारंटर" के रूप में संदर्भित, जिसमें वारिस, निष्पादक और अनुमत समनुदेशन शामिल होंगे, जैसा भी मामला हो) **शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पक्ष में,** कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक बैंकिंग कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 501, सैल्कॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र में है, जसोला विहार, दिल्ली - 110025 (इसके बाद "ऋणदाता" के रूप में संदर्भित, जो अभिव्यक्ति, जब तक कि यह संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसका अर्थ माना जाएगा और इसके उत्तराधिकारियों को शामिल किया जाएगा, और अनुमत असाइनमेंट) जबकि एक ऋण/सीमा समझौते के संदर्भ में दिनांक _____("ऋण/सीमा समझौता") निष्पादित by_____

ऋणदाता के साथ (इसके बाद "उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित), ऋणदाता ने उधारकर्ता को अनुसूची। (इसके बाद "ऋण/सीमा" के रूप में संदर्भित) में निर्दिष्ट राशि के लिए ऋण/सीमा का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की है, जैसा कि निर्दिष्ट और उसमें निहित नियमों और शर्तों पर ऋण/सीमा समझौते में निर्दिष्ट है।

और जबकि उक्त ऋण/सीमा समझौते में निर्दिष्ट और निहित शर्तों में से एक यह है कि उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा ऋण/सीमा के संबंध में ब्याज, लागत शुल्क, व्यय और/या अन्य धन के साथ ऋणदाता द्वारा देय भुगतान की गारंटी देने वाली गारंटी देगा (इसके बाद "गारंटीकृत राशि" के रूप में संदर्भित)।

और जबकि गारंटर (ओं) उधारकर्ता के अनुरोध पर और ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को उपरोक्त ऋण/सीमा प्रदान करने के विचार में, शर्तों पर और इसके बाद दिखाई देने वाले तरीके से ऋणदाता के पक्ष में इस गारंटी विलेख को निष्पादित करने के लिए सहमत हुए हैं।

अब यह गिरमिटिया गवाह है कि उपरोक्त परिसर को ध्यान में रखते हुए यह इसके द्वारा अनुबंधित और सहमत है:

1. उधारकर्ता का दायित्व है कि वह ऋणदाता को गारंटीकृत राशि का भुगतान करे।
2. यदि किसी भी समय उधारकर्ता द्वारा उपरोक्त ऋण/सीमा के संबंध में ऋणदाता को देय गारंटीकृत राशि के भुगतान में चूक की जाती है, तो गारंटर (ओं) बिना किसी विलंब या विरोध के, अपरिवर्तनीय और बिना शर्त ऋणदाता को ऐसी गारंटीकृत राशि की राशि का भुगतान करेगा जो ऋणदाता को देय हो सकता है और ऋणदाता को उन सभी नुकसानों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा जो ऋणदाता कर सकता है उधारकर्ता की ओर से किसी भी चूक के कारण होता है। गारंटर ऋणदाता द्वारा अनुरोध किए जाने पर ऋण/सीमा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी सहमत होता है।
3. भुगतान में देरी होने पर, गारंटर इस बात की पुष्टि करता है कि गारंटर उधारकर्ता और ऋणदाता द्वारा सहमत अतिरिक्त ब्याज (ऋण/सीमा करार में यथा परिभाषित) के साथ देय राशि का भुगतान करेगा।
4. यहां निहित गारंटी को प्रभावी करने के लिए, ऋणदाता इस तरह से कार्य करने का हकदार होगा जैसे कि गारंटर ऋणदाता के प्रमुख देनदार थे।
5. ऋण/सीमा समझौते के तहत ऋणदाता के अधिकारों और ऋण/सीमा के लिए अन्य सभी दस्तावेजों (सामूहिक रूप से "लेनदेन दस्तावेज" के रूप में संदर्भित) के बावजूद, ऋणदाता को उपर्युक्त ऋण/सीमा के संबंध में ऋणदाता को देय राशि का भुगतान करने के लिए गारंटर (ओं) को बुलाने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, बिना उधारकर्ता से ऋण/सीमा के संबंध में ऋणदाता को देय राशि का भुगतान करने की आवश्यकता के बिना और/या ऋणदाता के लिए उपलब्ध किसी भी उपाय या सुरक्षा को लागू करने की आवश्यकता है।
6. गारंटी अपरिवर्तनीय और गारंटर के खिलाफ लागू करने योग्य होगी, भले ही ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच किसी भी विवाद के बावजूद।
7. गारंटर पुष्टि करते हैं और पुष्टि करते हैं और घोषणा करते हैं कि किसी भी शेष राशि की पुष्टि और/या ऋण की स्वीकृति और/या दिए गए दायित्व की स्वीकारोक्ति या वादा, या उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को किए गए आंशिक भुगतान को गारंटर द्वारा स्वयं या उसकी ओर से दिया गया माना जाएगा और उनमें से प्रत्येक पर बाध्यकारी होगा। उधारकर्ता को अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अलावा 1963 के परिसीमा अधिनियम की धारा 18 और 19 के प्रयोजन के लिए उस ओर गारंटर के विधिवत अधिकृत एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए माना जाएगा।
8. गारंटर एतद्द्वारा सहमत हैं कि लेन-देन दस्तावेजों के संदर्भ में किए गए किसी भी बदलाव के बावजूद, ब्याज की दर में भिन्नता, ऋण/सीमा के पुनर्भुगतान की तारीख का विस्तार, यदि कोई हो, ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच उधारकर्ता पर मुकदमा करने या न करने के लिए समय देने के लिए बनाई गई संरचना; उधारकर्ता से अधिक सुरक्षा को बदलने या जोड़ने पर, या उधारकर्ता द्वारा दी गई सुरक्षा के साथ ऋणदाता को अलग करने पर, गारंटर को इस गारंटी विलेख के तहत अपने दायित्व से मुक्त या मुक्त नहीं किया जाएगा।
9. गारंटर एतद्द्वारा सहमत होता है और पुष्टि करता है कि ऋणदाता ऋणदाता द्वारा धारित सभी धन को समायोजित या सेट-ऑफ करने का हकदार होगा, या गारंटी के लाभ के लिए या अन्यथा इन उपहारों के तहत गारंटर (ओं) के दायित्व के निर्वहन और संतुष्टि के लिए।
10. गारंटर इस बात से सहमत है कि यदि उधारकर्ता दिवालिया हो जाता है, तो ऋणदाता (गारंटर (गारंटर) या ऋण/सीमा के संबंध में राशि के किसी अन्य व्यक्ति या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा ऋणदाता को भुगतान करने के बावजूद) गारंटीकृत देय राशि की पूरी राशि के गारंटर (ओं) से भुगतान लागू कर सकता है और वसूल कर सकता है। उपरोक्त घटना के घटित होने पर, गारंटर (गारंटर) तुरंत ऋणदाता को इसके बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा।
11. इसके द्वारा दी गई गारंटी स्वतंत्र है और ऋणदाता द्वारा ली गई सुरक्षा से अलग है, और गारंटर ने किसी भी समझदारी या विश्वास पर यह गारंटी नहीं दी है कि ऋणदाता ने कोई या ऐसी कोई अन्य सुरक्षा ली है और/या इसके बाद कोई या अन्य ऐसी सुरक्षा ले सकता है और भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 140 और 141 के प्रावधानों के बावजूद, 1872 या उस अधिनियम की अन्य धारा या कोई अन्य कानून। गारंटर किसी भी कारण से प्रतिभूति को लागू करने में ऋणदाता की विफलता के कारण किसी भी हद तक निर्वहन किए जाने का दावा नहीं करेगा, जिसमें इसकी चूक और लापरवाही के कारण भी शामिल हैं।
12. इस गारंटी विलेख के तहत दी गई या की गई प्रत्येक नोटिस, मांग या अन्य संचार लिखित रूप में होगा और संबंधित पार्टी को उसके पते या नीचे दिए गए फैक्स नंबर पर वितरित या भेजा जाएगा। संबंधित पक्ष को संबोधित कोई भी नोटिस, मांग या अन्य संचार वितरित किया गया माना जाएगा।

I. यदि व्यक्तिगत रूप से या कूरियर द्वारा वितरित किया जाता है, जब डिलीवरी का प्रमाण डिलीवरी पार्टी द्वारा प्राप्त किया जाता है;

II. यदि डाक द्वारा उसी देश के भीतर, पोस्टिंग के दसवें दिन और यदि डाक द्वारा किसी अन्य देश में भेजा जाता है, तो पोस्टिंग के बाद बीसवें दिन;

III. यदि फैक्स द्वारा दिया या बनाया गया है, तो प्रेषण पर और ऊपर प्रेषण की पुष्टि करने वाली ट्रांसमिशन रिपोर्ट प्राप्त होने पर;

IV. यदि ईमेल द्वारा दिया या बनाया गया है, तो प्रेषक से प्रेषण पर और प्राप्तकर्ता (प्राप्तकर्ताओं) को वितरित किए जाने के बाद; तथा

V. यदि प्रेषण की तारीख के 4 (चार) दिनों के भीतर पंजीकृत डाक द्वारा दिया जाता है। उपरोक्त के रूप में नोटिस भेजने के अनुसार, नोटिस भेजने वाला पक्ष ऋण/सीमा समझौते की अनुसूची। में उल्लिखित पतों पर प्राप्तकर्ता पक्ष को पूरे नोटिस की सामग्री को ईमेल करेगा।

13. यह गारंटी विलेख भारत के कानूनों के अनुसार शासित होगा और उस शहर में सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा जहां ऋणदाता की संबंधित शाखा/कार्यालय स्थित है।
14. उपर्युक्त खंड 13 के प्रावधान केवल ऋणदाता के लाभ के लिए हैं। परिणामस्वरूप, ऋणदाता को अधिकार क्षेत्र वाली किसी अन्य अदालत में विवाद से संबंधित कार्यवाही करने से नहीं रोका जाएगा। कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, ऋणदाता किसी भी संख्या में न्यायालयों में समवर्ती कार्यवाही कर सकता है।
15. इस गारंटी विलेख का कोई भी प्रावधान जो लागू क्षेत्राधिकार में निषिद्ध या अप्रवर्तनीय है, ऐसे अधिकार क्षेत्र के रूप में, निषेध या अप्रवर्तनीयता की सीमा तक अप्रभावी होगा, लेकिन जो इस गारंटी विलेख के शेष प्रावधानों को अमान्य नहीं करेगा।

अनुसूची II

गारंटर विवरण						
1.	**[ ] कंपनी**	**[ ] साझेदारी**	**[ ] लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप**	**[ ] समाज**	**[ ] ट्रस्ट**	**[ ] एकल स्वामित्व**
a.	नाम					
b.	पंजीकृत कार्यालय का पता					
c.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (यदि कंपनी)					
d.	व्यवसाय के स्थान/शाखा कार्यालय/संचार कार्यालय का पता					
e.	सभी के नाम, **[ ] निदेशक** **[ ] भागीदार** **[ ] सदस्य** **[ ] एकमात्र मालिक**					
f.	क़ानून जिसके तहत गारंटर को शामिल किया गया था	**[ ] कंपनी** - कंपनी अधिनियम, 1956 / कंपनी अधिनियम, 2013 **[ ] साझेदारी** - भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 **[ ] लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप** - लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008 **[ ] सोसायटी** - सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 / **[ ] ट्रस्ट** - भारतीय न्यास अधिनियम, 1882				
2.	यदि गारंटर एक **व्यक्ति है**					
a.i	नाम					
a.ii	का पुत्र / की पुत्री / की पत्नी					
a.iii	व्यवसाय के स्थान/शाखा कार्यालय/संचार कार्यालय का पता					
a.iv	निवास का पता					
b.i	नाम					
b.ii	का पुत्र / की पुत्री / की पत्नी					
b.iii	व्यवसाय के स्थान/शाखा कार्यालय/संचार कार्यालय का पता					
b.iv	निवास का पता					
3.	किसी भी अन्य मामले में, नाम, पता और अन्य विवरण					
4	उधारकर्ता और गारंटर के बीच संबंध					

गवाह में जिसके गारंटर (ओं) (उपर्युक्त) ने इन प्रस्तुतियों को पहले दिन और वर्ष में निष्पादित किया है, जो ऊपर लिखा गया है।

a) अतिथि _____ की मुहर यहां निदेशक मंडल द्वारा _____ को आयोजित अपनी बैठक में पारित एक प्रस्ताव के अनुसार चिपका दी गई है, जिसमें कंपनी के श्री/श्रीमती _____ और श्री/Mrs._____ निदेशक/जिनकर इन उपहारों पर हस्ताक्षर किए हैं/हस्ताक्षर किए हैं और श्री/Mrs._____ सचिव/अधिकृत व्यक्ति जिन्होंने इन उपहारों पर हस्ताक्षर किए हैं/प्रतिहस्ताक्षर किए हैं। उसका टोकन।	
b) साझेदारी/सीमित देयता साझेदारी नामित गारंटर के भीतर के भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया 1. _____ 2. _____ 3. _____	
c) व्यक्तिगत/एकल स्वामित्व नामित गारंटर द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया _____	
d) किसी भी अन्य मामले में नामित गारंटर द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया _____	

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित,

_____

SHIVALIK

Shivalik Small Finance Bank

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, दूसरी और तीसरी मंजिल, ऐड इंडिया टॉवर, प्लॉट नंबर-ए-6ए, सेक्टर 125, नोएडा, उत्तर प्रदेश